दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 बुधवार, 28 जून, 2017 / 07 आषाढ़, 1939 (शक) अंक–51

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री संदीप कुमार
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री आदर्श शास्त्री
25. श्री गुलाब सिंह
26. सुश्री भावना गौड़
27. श्री सुरेन्द्र सिंह
28. श्री विजेन्द्र गर्ग
29. श्री प्रवीण कुमार
30. श्री मदन लाल
31. श्री सोमनाथ भारती
32. श्रीमती प्रमिला टोकस
33. श्री नरेश यादव
34. श्री करतार सिंह तंवर
35. श्री प्रकाश
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री नारायण दत्त शर्मा
41. श्री अमानतुल्लाह खान
42. श्री राजू धिंगान
43. श्री मनोज कुमार
44. श्री नितिन त्यागी
45. श्री एस.के. बग्गा
46. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
47. श्रीमती सरिता सिंह
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 बुधवार, 28 जून, 2017/07 आषाढ़, 1939 (शक) अंक–51

सदन अपराह्न 2.08 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत – वन्देमातरम्)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः इस दो दिवसीय विशेष सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं।

अभी 23 जून को मोहम्मद अयूब पंडित, (डीसीपी) कश्मीर में मस्जिद के सामने आतंकवादियों द्वारा मारे गये और अनेक सैनिक पिछले दिनो शहीद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी दुःखद घटना है। बार–बार पूरे देश में इससे वातावरण खराब हो रहा है। मैं अपनी ओर से तथा दिल्ली विधानसभा की ओर से दिवंगत आत्मा को परमेश्वर अपने यहां स्थान दें और उसके परिवार को इस दारूण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वर से ये भी प्रार्थना कर रहा हूं कि कश्मीर से आतंकवाद जल्द समाप्त हो ताकि भारत की जनता सुख–चैन से रह सके। अब हम दो मिनट के लिए मौन रखेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण) 'ओम शांति, शांति'।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा टी.वी. चैनलों पर। हमारे विधान सभा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक शहीद को जिसको ड्यूटी पर तैनात रहते शहीद किया गया। उसके साथ–साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से ये भी केन्द्र सरकार के पास यूनैनिमसली पास करके भेजें कि जो लोग खतरे से इस नाम पर वहां आग लगाने का काम कर रहे हैं। मीर वाइस जैसे लोग जो इस टाइम अंदर थे, जिन्होंने डी.एस.पी. को मरवाने में काम किया, वह भी आज तक खुले घूम रहे हैं और भी जो सेल्फिश लीडर हैं, जो लोग खाते तो भारत का हैं लेकिन नारा पाकिस्तान का लगाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी मेरी बात सुनो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं रूलिंग दे रहा हूं इस पर ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, सोमनाथ जी प्लीज। सोमनाथ जी, प्लीज दो मिनट प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए यह बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले ऐसे सिपाहियों को जो शहीद होते हैं, एक करोड़ रू. देती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी रूकिए। बात तो सुन लीजिए न पूरी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बात तो सुन लीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि, भई मैं जो बात कह रहा हूं, उसे एक बार सुन लीजिए सिरसा जी। इसको राजनीति में हम लेकर जायेंगे, उचित नहीं है। इसमें चर्चा जो है, केन्द्र सरकार इसको पूरे देश में लागू करे, मैं इसके पक्ष में हूं और ये सदन भी इसके पक्ष में रहेगा। इससे ज्यादा अब इस विषय....

...(व्यवधान)

एक बार केन्द्र सरकार को लिख कर दे दें। ये सरकार संवेदनशील है। इस सरकार ने शुरू से, आरंभ से दिल्ली में रहने वाले को, मैंने कहा दिल्ली में रहने वालों को।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पंजाब में रहने वालों को भी दिया था इन्होंने।

अध्यक्ष महोदयः नहीं हमने

...(व्यवधान)

मनजिंदर सिंह सिरसाः मैंने उसको भी लिखा।

अध्यक्ष महोदयः किसने?

मनजिंदर सिंह सिरसाः वो गये घर पर।

अध्यक्ष महोदयः वो सरकार निर्णय कर लेगी।

मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं यह चाहूंगा कि जरूर आपने...

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं। बैठिए प्लीज 280 में श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इस सदन का नियम यह है। एक सेकेंड । ऐसे मत बोलिए बीच में प्लीज। त्यागी जी, दो मिनट रूक जाइए। त्यागी जी दो मिनट। त्यागी जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। त्यागी जी, देखिए मेरी बात सुनिये। त्यागी जी, दो मिनट बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अच्छा अभी, त्यागी जी दो मिनट बैठिए। त्यागी जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी आप मुझसे बात करिए प्लीज। आप मुझसे बात करिए। त्यागी जी, त्यागी जी, मेरे लिए परेशानी है। अच्छा, जरनैल जी, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। प्लीज–प्लीज। मैं अगर समय विपक्ष को न दूं तो उनसे बुरा बनता हूं। वो मीडिया में जा के बोलते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको पूरा समय दूंगा, बैठिए। समय मत खराब कीजिए सदन का। मैं रूलिंग दे रहा हूं उनको। वो जो कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। आप दो मिनट बैठिए तो सही। देखिए, ऐसा है सिरसा

जी। नियम यह बना रखा है मैंने कि 280 और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो पहले लेता हूं। अन्य कोई भी नोटिस आये, उसके बाद लेता हूं। वो मेरे पास आये, दो मिनट बैठ जाइए, मैं 280 पहले ले लूं। मैं एक घंटा खराब नहीं करना चाह रहा हूं। सिरसा जी, आप बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य 280 लेके आते हैं, लिख के लाते हैं, उसका एक घंटा हम खराब कर देते हैं। अनिल कुमार बाजपेयी जी। समय खराब हो रहा है। 15 मिनट खराब हो गये। 15 मिनट आपकी वजह से खराब हो गये। आपकी वजह से 15 मिनट खराब हो गये। अनिल बाजपेयी जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, सिरसा जी मेरा यह कहना है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं किसी कीमत पर 280 का एक घंटा खराब नहीं करने दूंगा। आप बैठिए। बैठ जाइए। मैं 280 के बाद सुनूंगा। हां, 280 के बाद सुनूंगा। मैं बोल रहा हूं और सुनने को भी तैयार नहीं हो रहे। उनको मालूम है, जगदीश जी को।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 280 के अंतर्गत आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान, मेरी विधान सभा गांधी नगर में एमसीडी के हमारे जो ड्रेन्स हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी विधान सभा के अंदर अजित नगर, चन्द्रपुरी का जो नाला है, वो साल में केवल एक बार साफ हुआ है और उस नाले की सफाई न होने के कारण पूरे अजित नगर के अंदर पानी घुस जाता है। कैलाश नगर के अंदर पानी भर जाता है और पानी मिक्स हो जाता है। आज भी मैं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को लेकर वहां पर गया था कि यह सीवरेज की प्रॉब्लम है, वहां पर आइए। एमसीडी कमिश्नर से भी कई बार मिल चुका हूं। उनसे भी कहा, डीसी से भी कहा और सारे लोगों से कह चुका हूं। अब हमारे पास क्या इस तरह से, कम

से कम एमसीडी के कमिश्नर को इस बारे में कोई निर्देश जारी किया जाये। कम से कम एमसीडी नहीं है, हमारे पास। कम से कम मेरे को जीने का हक तो है। उनके घर में पानी घुस जायेगा तो इससे, वहां के लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है।

मेरा आपसे अनुरोध है, उनको समझाने के लिए कम से कम इसमें हमारी मदद किया जाये।

अध्यक्ष महोदयः अवतार सिंह कालका जी।

सरदार अवतार सिंह कालकाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। सबसे पहले तो मैं पिछली बार मनजिंदर सिंह सिरसा चुनकर आये थे तो मैं मुबारक देना भूल गया था। समय नहीं रहा था, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि विधान सभा में आये और दूसरी बात मैं यह भी चाहूंगा कि सदन की गरिमा को अच्छे तरीके से रखा जाये ताकि प्रबंधक कमेटी के यहां पर जनरल सैक्रेटरी भी हैं, क्योंकि इसका....

अध्यक्ष महोदयः नहीं अवतार सिंह जी, आप विषय पर रखिये। नहीं, नही, मैं बिल्कुल नहीं, अवतार जी न, मैं बिल्कुल अलाऊ नहीं कर रहा हूं। मैं बाहर की चीज को किसी कीमत पर नहीं। आप अपने विषय पर आइये। आप अपने विषय पर आइये सीधा प्लीज।

सरदार अवतार सिंह कालकाः हम इसको ध्यान में रखके यहां की गरिमा को अच्छे तरीके से।

अध्यक्ष महोदयः आइये, चलिए।

सरदार अवतार सिंह कालकाः बाकी, विधान सभा जो तरीके से चल सके। बार–बार उठना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय मैं अपनी कालका विधान सभा में दयाल सिंह कालोनी के ऊपर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने पहले भी अपना मंत्री जी को भी लेटर लिखा और पीडब्ल्युडी को भी अवगत कराया था कि हमारी विधान सभा में एक रेलवे कॉलोनी क्रॉस करके दयाल सिंह कालोनी जाती है। वहां पर पीछे की सरकारे रहीं कभी, कई सरकारें आयी पर किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और रेलवे कॉलोनी से रास्ता होके जाता था। रेलवे ने अपना रास्ता बंद कर दिया और पीछे एक कॉलोनी लगती थी, उन्होंने अपना रास्ता बंद कर दिया और उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है और जब रेलवे क्रॉस करके जाते हैं तो मेरे इलाके में पिछले दो तीन सालों में कम से कम 15 मौतें हो चुकी हैं, यहां पर रेल से कट कर। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि वहां से कोई रास्ता दिया जाये। हमारे पास जगह भी है, वहां पे। वो रास्ता देने की कृपा करें ताकि लोग जिंदगी अपनी जी सकें। आने वाले समय में उनको दिक्कत न हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार, इस वक्त हमारे पास भी वक्त मिला और उससे अपना ठीक कर सकती और रास्ता दे सकती है। पीछे जो सरकारों ने नहीं किया, वो हमारे पास आते हैं बार–बार और हमारे से कहते हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार हमारी पार्टी की सरकार है, तो उनका यह रास्ते का जो भी समस्या है, उनका समाधान करे ताकि आने वाले समय वो अपनी दिल्ली को ठीक से देख सकें।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, राजेश ऋषि।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिससे कि दिल्ली की गरीब जनता और साथ में हमारे एमएलए

भी परेशान हैं, वह है दिपु। इस दिपु ने गरीब जनता का जीना बेहाल कर दिया है। ये दिपु है दिल्ली पुलिस। आज दिल्ली पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मेरे क्षेत्र में अभी थाने का उद्घाटन हुआ उस उद्घाटन में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के केवल नये और पुराने पार्षदों को बुलाया और सारी आरडब्ल्यूएज को बुलाया। सब आरडब्ल्यूएज मुझे फोन करती रही कि क्या हुआ, आप नहीं आये, आप नहीं आये? मैं उनसे ये नही बता पाया कि मेरे को दिल्ली पुलिस ने बुलाया नहीं है, उसका राजनीतिकरण हो गया है जी। इस समय ये हालत है कि थाने में अगर कुछ कांड हो जाये और उसकी हैल्प करने के लिये आप अगर चले जायें, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का एक छोटा सा पार्षद भी चला जाता है तो खड़े होकर थाना इंचार्ज उसको बिठाता है, उसको पानी पिलाता है और उसके हिसाब से सारा का सारा कानून बदल देता है। ये स्थिति है वहां पर। आप अगर किसी सच्चे इंसान के लिये बोलने भी जाते हैं, उसकी मदद करने जाते हैं, हमें बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है, अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस को जो राजनीतिकरण हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। हमारे क्षेत्र में इस समय इतना बुरा हाल है। चोरी, डकैती और दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं लेकिन दिल्ली पुलिस एफआईआर करने से पहले उनको इतना दौड़ाती है कि वो बेचारे चोरी की रिपोर्ट करने ही नहीं आते क्योंकि पढा लिखा इंसान बार बार परेशान होना नहीं चाहता है।

मैं आपका ध्यान इस तरफ और ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहां पर नजफगढ रोड हैं जो बहुत बुरी हालत में जाम रहती है इस रोड की स्थिति ये है कि ककरौला मोड़ से लेकर उत्तम नगर मोड़ तक, यहां पर लगभग 21–22 प्राईवेट आदमी पैसा वसूलते हैं दिल्ली पुलिस के लिये।

आपको हैरानी होगी कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग एक करोड़ रूपये से ऊपर की, डेली की वहां पर वसूली की जाती है। मुझे पत्रकार भाइयों ने बताया कि यहां पर इतने की वसूली हो रही है, इतनी गाडियां, ये सब कुछ है। इसकी सूचना मैंने एसएचओ को फोन करके दी। एसएचओ ने बड़े ध्यान से सुना, बोला, ''नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है।'' मैंने कहा हो सकता है कि आपके हिसाब से कम की वसूली हो लेकिन मेरे पास जो पत्रकार बता रहे हैं, उसके हिसाब से इतनी वसूली है तो ये वसूली हो रही है। एक एक खेल से एक एक बैटरी रिक्शा वहां पर चल रहा है उससे।

अध्यक्ष महोदयः प्लीज कन्कलूड कीजिए।

श्री राजेश ऋषिः तीन सौ रूपये हमसे दिल्ली पुलिस लेती है और सौ रूपया हमसे एमसीडी वाले वसूलते हैं तो इस तरह गैर कानूनी वसूली हो रही है। मैं दिल्ली पुलिस के बारे में केवल आपसे दो शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आज केवल गांधी जी के नोटों से चल रही है। जो पैसा देता है, उसकी सुनवाई होती है, उनके लिये चंद शब्द कहना चाहता हूं किः

ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया,
द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रूपया।

आज दिल्ली पुलिस के लिये रूपया सबसे बड़ा हो गया है। इंसान की जान, जान नहीं रही, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्तः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एमएलए फंड से किये जाने वाले कार्यो की तरफ दिलवाना चाहता हूं। मेरी

विधानसभा सदर बाजार जो कि डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, दरिया गंज डूडा के तहत आती है और पिछले तीन महीने से फोलोअप ले रहे हैं। इस फाईनेनशियल ईयर के तीन महीने; अप्रैल मई और जून निकल चुके हैं लगातार फोलोअप लेने के बाद भी अभी एमएलए फंडस की पैमेंटस नहीं आई हैं। बार बार अधिकारी एसडीएम डूडा वो ये बताते हैं कि अभी आयेंगे और तीन महीने निकल चुके हैं और इसके अलावा पिछले फाईनेंशियल ईयर के एकाउंट भी कैरी फारवर्ड होने हैं, लगातार तीन महीने से फोलोअप ले रहा हूं तो भी अभी तक नहीं हुए हैं, सिर्फ एक सिग्नैचर के लिये फाइल एसडीएम डूडा से डीएम डूडा डीएम और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से दिल्ली सैक्रिटेरिएट के डिफरैण्ट सैक्रेटरीज के चक्कर काट रही है। हमारा टाइम लगातार निकलता जा रहा है। तीन महीने से सारे काम, सारे ऐस्टीमेटस पैन्डिंग हैं, सडकें बननी हैं लाइटें लगनी हैं, मेरा आपसे रिक्वैस्ट है कि इस मामले को जल्द से जल्द फोलोअप ले के और ये एमएलए फंड की पैमेंट रिलीज कराई जायें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः हां, जैन साहब।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः एक सैकिण्ड सौरभ जी, मंत्री जी महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं

शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय सदस्य जिन्होंने ये प्वाइंट रखा है, समस्या है और डूडा की काफी शिकायते मिल रही हैं कि काफी डिले हो रहा है और सदस्यों की शिकायतें आई हैं कि पैसा नहीं मिल पाया, इसको रिवर्स करके फिर से यूडी के अंडर कर रहे हैं जल्दी से इसके आदेश करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं, जो दिल्ली विधानसभा के धन्यवाद...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कपिल जी, बैठिये प्लीज। उन्होंने जो उत्तर देना था, दे दिया। नहीं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है मैं देखिये आप को बोल रहा हूं ये चर्चा का विषय नहीं है उन्होंने कहा है डूडा से यूडी को जा रहा है बस ये चर्चा नहीं है इस समय चर्चा नहीं है प्लीज बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए कपिल जी बैठ जाइए आप बैठ जाइए मैं आग्रह कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कपिल जी, आप बैठ जाइए। बहुत हो गया बैठिये आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, चलिये आप।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः कपिल जी, आप बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। सौरभ जी, चलिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में बोलने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा के अंदर हम सब लोग चुन के आये थे तो हम सब लोगों की कमिटमेंट थी। अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा के अंदर कई सारी कमेटीज काम कर रही हैं। कई सारी कमेटीज अभी नई बनी हैं और उनमें एक तय प्रोसीजर के तहत अधिकारियों को बुलाया जाता है, अधिकारियों से जानकारियां ली जाती हैं। उनसे फाइल और जो कागज हैं, डाक्यूमेंटस हैं, वगैरह वगैरह मंगाये जाते हैं और इसी तरीके की एक कमेटी सीएनजी फिटनैस स्कैम के अंदर भी काम कर रही है। सीएनजी फिटनैस स्कैम शीला दीक्षित जी के जमाने में पुरानी सरकार के जमाने में एक स्कैम हुआ था। कई बार आरोप लगाये जाते हैं कि स्कैमस के खिलाफ जो लोग जीत कर आये हैं, वो लोग सीरियस नहीं हैं, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बताने में खुशी होगी कि सीएनजी फिटनैस स्कैम के लिये एसीबी को सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे कि इस पर कार्रवाई की जाये। वो कार्रवाई धीरे चल रही थी, ढीली चल रही थी। कई बार ये भी पता चला कि अफसरों पर भी दबाव डाला जा रहा है कि ये कार्रवाई ढ़ीली चले। एसीबी ने पुराने उपराज्यपाल नजीबजंग जी से 2013 में सैंक्शन मांगी थी कि जिन अधिकारियों के नाम पर उन्होंने कार्रवाई में सबूत पाये हैं, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन सैंक्शन दिया जाए मगर उस वक्त के एलजली नजीबजंग साहब ने उसमें प्रोसीक्यूशन सैंक्शन देने से मना कर दिया था, आगे की कार्रवाई रोकने के आदेश दिये थे। जब हमारी सरकार बनी तो इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। सीबीआई ने इसमें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट दी कि कुछ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे कागजात उन फाइलों के अंदर लगाये गये थे जो उन फाइल्स में कभी थे ही नहीं

और उसके बिना पर अधिकारों के साथ मिल जुल के, कुल मिला के एलजी साहब ने प्रोसीक्यूशन सैंक्शन देने से मना कर दिया था। बाद में एसीबी ने दोबारा इसमें कार्रवाई शुरू की मगर उसकी जांच भी बहुत धीरे चल रही थी और सरकार ने एस. एन. अग्रवाल कमीशन आफ इन्क्वायरी बनाया था और अग्रवाल कमीशन ने जब ये कागजात सरकार से मांगे थे तो उस दौरान भी जो एलजी साहब थे, उनके आदेशों के कारण वो कागजात उस कमीशन को नहीं दिये गये थे। बाद में एसीबी से भी वो कागजात मांगने की कोशिश की गई थी मगर उस वक्त के जो एसीबी के चीफ थे मिस्टर मीणा, उन्होंने भी वो कागजात सरकार के साथ, उस कमीशन के साथ शेयर करने से मना कर दिया था। वो मसला बाद में कोर्ट में गया क्योंकि इन लोगें की यादश्त बहुत कम होती है। लोग ये भूल जाते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने कई तरीके से कोशिश की। जब एसीबी साथ था, एसीबी हमारे पास था तो एसीबी के जरिये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की। जब एसीबी छीन लिया गया तो उसके बाद इन्क्वायरी कमीशन बनाया गया। इन्क्वायरी कमीशन को भी सरकारी अधिकारियों ने जब कागजात नहीं दिये तो कोर्ट गये। बाद में दुःखद बात ये रही कि कोर्ट ने 2016 में उस कमीशन को नल एंड वॉएड डिक्लेयर कर दिया और वो चीज वहां रूक गई। उसके बाद विधानसभा में ये निर्णय हुआ कि हम एक कमीशन आफ इन्क्वायरी बनायें और विधानसभा की एक कमेटी इस पर कार्रवाई कर रही थी और कई अधिकारियों को बार बार तलब किया गया है कि आप इसके कागजात कमेटी के साथ साझा करें। अब क्योंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है, इन्वेस्टीगेशन खत्म हो चुका है तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता सरकार के अधिकारियों के पास कि वो कागजात कमेटी के साथ शेयर न करें मगर इस तरीके की बार बार ये खबरे आ रहीं हैं, अखबार के अंदर भी कि अलग अलग डिपार्टमेंटस एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं फाईल

को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक घुमा रहे हैं मगर जो कागजात हैं, वो शेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता था और उन लोगों के संज्ञान में भी लाना चाहता था जो लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाजः एक बात और अध्यक्ष जी। मैं कल एक न्यूज रिपोर्ट पढ रहा था वहां पर इस सदन के अंदर ही बैठे हुए एक सदस्य ने पैटीशन कमेटी पर ये आरोप लगाया है कि पैटीशन कमेटी में अधिकारियों को इसलिये बुलाया जा रहा है ताकि उन अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके, उनको ब्लैक मेल किया जा सके और ये सारा हम अपने निजी कारणों से ये कर रहे हैं। वो सदस्य इस वक्त यहीं सदन में बैठे हैं, तो मैं उन सदस्य के खिलाफ आपके पास प्रिवलैज का एक नोटिस भेजूंगा।

अध्यक्ष महोदयः भेजिए, भेजिए, भेज दीजिए। जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये मेटर मेरी विधान सभा के साथ–साथ पूरी दिल्ली में जो व्यापारी कमर्शियल और मिक्स लैंड यूज पर एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सबसे संबंधित है।

साल 2006 में एमसीडी ने एक बड़ी सीलिंग ड्राइव चलाई थी कि कमर्शियल और मिक्स लैंड यूज पर जो दुकानें खुली थी, उनको सील किया था। बाद में सोल्युशन ये निकला था कि ये सब कन्वर्जन चार्जिज देंगे और वो फिर ऐसे ही चलती रहेगी एस्टैब्लिश्मैन्ट। प्रोवीजन ये था कि ये दस साल तक एक फिक्स चार्जिज देंगे। जो एक बार देना चाहे, वो जितना एमाउंट एक बार में दे दें, नहीं तो दस साल तक देना है। अब आठ साल वालों को तो एमसीडी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, पर जो लगातार

दस साल भी दे चुके हैं, उनको ऐसा कोई कम्पलीशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। उनसे अभी भी ये कन्वर्जन टैक्स या कन्वर्जन चार्ज अभी भी लिया जा रहा है जिससे व्यापारी मिक्स लैंड यूज पर और कमर्शियल रोड पर काम करने वाले बहुत परेशान हैं। एमसीडी की तरफ से कोई क्लीयर कट डायरेक्शन नहीं जा रही है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि एमसीडी कमिश्नर को कोई इस तरीके की डायरेक्शन भेजी जाए कि जो मिक्स लैंड और कमर्शियल रोड पर काम रहे हैं, उन व्यापारियों के हित में कोई एक क्लीयर कट पॉलिसी सबको बताई जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान छतरपुर विधान सभा में पिछले करीब दस वर्षों से एक 225 बेड का हॉस्पीटल प्रस्तावित है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। कई बार वहां पर पूर्व विधायकों ने उद्घाटन भी किए लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी आज तक वो हॉस्पीटल शुरू नहीं हो पाया है। पहले होस्पीटल में जाने के लिए कहीं से एन्ट्री नहीं थी। करीब दो वर्ष पहले उस जमीन को वहां से शिफ्ट करके छतरपुर जो सौ फिटा रोड है, उस पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आज उसके लिए सौ फिट का रोड भी है और करीब 13 एकड़ जमीन ग्राम सभा की दिल्ली सरकार के रवैन्यू डिपार्टमेंट ने एलाट कर रखी है लेकिन फिर भी रिज डिपार्टमेंट की वजह से या और किसी न किसी वजह से उसमें अड़चनें आती रहती हैं। कई बार मंत्री जी के साथ भी उस पर मीटिंग्स हुई हैं तो मेरा आपके माध्यम से आपसे अनुरोध है कि उसमें जो भी अगर रिज मैनेजमैन्ट बोर्ड से वो होना है, तो वहां से उसको दूर किया जाए क्योंकि जो जमीन एलाट हुई

थी, वो ग्राम सभा की है और ग्राम सभा की जमीन के लिए रोड नहीं था, अब रोड भी मिल चुका है तो उस जमीन को जो ग्राम सभा की थी, उसको रिज में किया जाए और इस जमीन को जो सौ फिट रोड पर लगी है, इसको ग्राम सभा में करके वहां पर हॉस्पीटल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आज करीब चार लाख की वहां पर आबादी हैं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इतनी मौहल्ला क्लिनिक्स खोली गई हैं, उल्लेखनीय कार्य किया है लेकिन ये जो हॉस्पीटल का काम है, ये शुरू नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस 225 बैड के हॉस्पीटल को वहां पर शुरू किया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली के अंदर दो विषयों के ऊपर दिलवाना चाहता हूं और जिसके अंदर ये बहुत संगीन मामला है। दिल्ली के अंदर जैसे कि आप जानते है एनजीटी की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, हमारी सरकार ने भी खूब चिंता दिखाई पॉल्यूशन पर काम करने की और ये भी किया गया है कि एक दिन व्हीकल चलेगा और एक दिन नहीं चलेगा लेकिन ये बहुत बड़ा एक घोटाला सरकार के सामने हो रहा है और मैं समझता हूं कि सरकार इससे क्यूं अनजान रही, ये सरकार बेहतर बता सकेगी।

दिल्ली के अंदर जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके पास पानी के टेंकर चलते हैं। अध्यक्ष जी, ढाई सौ टेंकर ऐसे चल रहे हैं जो यूरो–4 नॉर्म्स को फोलो ही नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार की अपनी नोटिफिकेशन है,। पब्लिक नोटिस भी निकाला है दिल्ली सरकार ने जिसमें दिल्ली सरकार ने

ये कहा है कि ये नॉर्म्स चाहिए, यूरो–4 के नॉर्म्स चाहिए और दिल्ली में जो व्हीकल चलेगा, वो दिल्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेशनल परमिट का कोई व्हीकल दिल्ली में नहीं एप्लाई कर सकता। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये ढ़ाई सौ टेंकर चल रहे हैं। ये इस दिल्ली के अंदर दो तरह की बीमारी फैलाने का काम कर रहे है। जहां ये पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ–साथ जो इसकी बॉडी है, वो लोहे की है, आयरन की है, एसएस की नहीं है, स्टील की नहीं है। उसके कारण जो डब्लूएचओ की गाइड लाइंस है, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि एसएस के टेंकर के बिना पानी नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि जंग लगने से उसमें कई तरह की बिमारियां होती हैं जो कि आदमी के लिए घातक है। वो टेंकर तो चल ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर पीजी सेल में ये कंपलेंट गई। बड़ी हैरानगी की बात है दिल्ली जल बोर्ड ने रिटर्न में ये दिया पीजी सैल के चेयरमैन के आगे कि हम इसको छः महीनों के अंदर–अंदर विदड्रॉ कर लेंगे और हम इसके लिए नए टेंकर खरीद रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने ढ़ाई सौ नए टेंकर भी खरीद लिए एसएस के स्टेनलैस स्टील के लेकिन उसके बाद ये जो 1 जनवरी, 2015 को पीजी सैल के अंदर 2015 डीजेपी 853 नंबर कंपलेंट थी लेकिन इस आर्डर के बावजूद आज तक वो विदड्रॉ नहीं किए। अब देखिए, इनको पेमेंट भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि दिल्ली के अंदर यूरो नोम्स के साथ–साथ कोई बाहर का व्हीकल एप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है तो ये नेशनल परमिट के साथ भी चल रहे हैं। इन गाड़ियों के नंबर के साथ मैंने ये दिया है कि किस तरह हरियाणा के नंबर और यूपी के नंबर की गाड़ियां चल रही है।

अध्यक्ष जी, मेरे को जो जानकारी मिली, मैं ये जानकारी कह रहा

हूं क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर बोल नहीं सकता, मुझे जानकारी दी गई कि इनमें बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स के टेंकर हैं इसलिए इनको विदड्रॉ करने की दिल्ली जल बोर्ड हिम्मत नहीं कर पाया।

इससे भी संगीन अध्यक्ष जी, जो दूसरा मसला है, वो भी इसी से है। इसी तरह जो पिछले दिनों में हमने पीडब्लूडी ने एक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें खरीदी। अध्यक्ष जी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस को दरकिनार करते हुए, एनजीटी की गाइड लाइंस को दरकिनार करते हुए बकायदा मेंशन किया गया कि फलानी कंपनी का ही इंजन का आप खरीद सकते हैं। बकायदा मेन्शन किया गया कि इस यूरो नॉर्म्स के तहत किया गया कि इस कंपनी के ब्रांड की ही आप गाड़ी खरीद सकते हैं और उसके अंदर क्या किया गया, खुद पीडब्लूडी का आर्डर है, मैं इस पब्लिक नोटिस की कापी साथ में लेकर आया हूं। इसके अंदर खुद पीडब्लूडी ने ये माना है कि हमारे जो स्वीपर्स हैं, वो यूरो नॉर्म्स को फोलो कर रहे हैं जब कि वो स्वीपर्स में दिल्ली का नंबर ही नहीं है। मैं उनके नंबर भी अध्यक्ष जी, लेकर आया हूं यूपी 17, यूपी के रजिस्ट्रेशन हैं, हरियाणा के हरियाणा 36 सी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा की हरियाणा 63–3913, मैं कंपनियों के नाम के साथ–साथ उन लोगों के नाम, ये मेरे पंजाबी बाग से, मेरे पंजाबी बाग में फ्लाई ओवर पर खड़े होते हैं जो मेरा घर का फ्लाईओवर है, मैं जब आता हूं तो वहीं खड़े होते हैं, मैंने इसके ऊपर आरटीआई भी लगाई और आरटीआई में भी जवाब मांगा। अध्यक्ष जी, बड़ी इंट्रेस्टिंग बात आपको बताऊं, इसमें जो जवाब दिया गया, ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर यूरो–4 नॉर्म्स से कम का व्हीकल चल नहीं सकता और यह भी जवाब दिया गया, ये मेरे को जवाब, मैंने चिट्ठी भी लिखी और इस चिट्ठी की कापी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी भेजी और मुख्यमंत्री जी को भी भेजी। अध्यक्ष जी, इसमें ये कहा गया, इन टेंकरों की फोटो लगाई है। इसके आगे लिखा हुआ है,

देखिए, कि 'दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ जंग', कैसे जंग लड़ रही है हरियाणा नंबर का रजिस्ट्रेशन व्हीकल जिसका यूरो–3 नॉर्म्स है जो कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है। उस व्हीकल के आगे ये लिखकर लगाया हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, अंत में ये बताना चाहता हूं कि उससे बड़ा जो इसमें काम किया गया कि इनको पेमेंट हो रही है। जो अधिकारी इनको पेमेंट कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने अपने सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस, एनजीटी की गाइड लाइंस और खुद की अपने दिए हुए नोटिस को दर–किनार करके कैसे पेमेंट कर रहे है? ये डीजल के व्हीकल्स हैं, अध्यक्ष जी। ये सात हजार किलो मतलब साठ टन कैपिसीटी के के जो व्हीकल है, उससे कम का व्हीकल अगर कोई होगा तो वो 7230 किलो का सीएनजी का चल सकता है लेकिन ये 5000 किलो के व्हीकल हैं लेकिन ये भी डीजल के चल रहे हैं। जब कि ये चल नहीं सकते, ये सीएनजी के होने चाहिए थे। यूरो नॉर्म्स को फोलो करना है। उसके साथ सीएनजी का व्हीकल होना मेंडेटरी था लेकिन इसके बावजूद इनको पेमेंट भी दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं ये लगभग हमारे सभी सदस्यों की चिंता है कि पिछले एक–डेढ़ साल से गांव के अंदर चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, ये सब बनाने का काम पंचायत के थ्रू होता है। पंचायत इसका पैसा रिलीज करती है लेकिन बड़े दुःख की बात है कि पिछले

डेढ़ साल से लगभग गांव की स्कीमें बनाकर हम भेज रहे हैं लेकिन फंड का न होना, बार–बार वहां से ये जवाब मिल रहा है। पंचायत डायरेक्टर के पास आज से 15 दिन पहले मैं गया तो बताया गया कि 11 करोड़ रूपए हमारे पास हैं। उस 11 करोड़ रूपए को भी हम जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, उसकी बाउंडरी वॉल करने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास फंड नहीं है। इसलिए हम आपको चौपाल के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए अभी आपको फंड नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बस यही कहना था कि मंत्री जी और पंचायत डायरेक्टर को आप जरूर इस बारे में अवगत कराए कि आने वाले महीने में, दो महीने में जितनी भी चौपाल की, कम्युनिटी सेंटर की जो स्कीमें हमारी बनी हुई है, पिछले डेढ़–दो साल से अपने क्षेत्र में कोई चौपाल हम नहीं बनवा पाएं और चूंकि आप जानते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, करीबन 34 गांव मेरी विधान सभा में पड़ते हैं और प्रत्येक गांव के अंदर ये स्थिति है कि या तो चौपाल बहुत जर्जर हालत में है और कई जगह चौपालें जो हैं, वो नई बननी हैं। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेकर हमें जल्द से जल्द फंड मुहैया कराया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा सदन का ध्यान द्वारका विधान सभा में अतिक्रमण से संबंधित समस्या, खासतौर से बरसात की वजह से बनती जा रही है, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरी विधान सभा में डाबड़ी–पालम करके एक सड़क है, जिसके साथ एक नाला चलता है जो फ्लड डिपार्टमेन्ट के तहत है। उस नाले को डीडीए के माध्यम से उसको ढका गया और उसके ऊपर एक पुलिया बनाई गई

है। तो बहुत बड़ी समस्या उससे उत्पन्न हो गई है वहां पर। उस पुलिया पर जो नाले के ऊपर ढका गया है, जो पुल बनाया गया है, उसके ऊपर अतिक्रमण के माध्यम से वहां पर चाहे गाड़ी की पार्किंग बना ली है, चाहे वहां पर लोगों ने अपने ठिए लगा लिये हैं और धीरे धीरे करते हुए वो सड़क जो लगभग 12 मीटर की चौड़ाई की है, उस सड़क पर अब पैदल चलना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। साथ में जो नाला फ्लड डिपार्टमेन्ट के अंडर है, उसकी वजह से उस नाले की सफाई करना अब असम्भव हो चुका है। इसमें...

(दर्शक दीर्घा से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नारे लगाते हुए सदन में पर्चे फेंके गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः रोकिये इनको, सिक्योरिटी। सैक्रेटरी साहब इनको रोका जाए, सिक्योरिटी ध्यान देंगे इनको अरैस्ट करके विधान सभा परिसर में रखें, मैं जब तक आदेश नहीं दूंगा, बाहर नहीं जाएंगे।

इनको अरैस्ट किया जाए तुरन्त और विधान सभा परिसर में रखा जाए, तुरन्त अरैस्ट कीजिए इनको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी आप जाइए नहीं, बैठिए, बैठिए। सोमनाथ जी, ये मसला बहुत गम्भीर है, मैं आधा घंटा के लिये सदन स्थगित करता हूं और जिन एमएलएज ने यहां आने के लिए इनकी रिक्मन्डेशन दी है, जिनकी रिकमन्डेशन से पास बने, वो तुरन्त मेरे ऑफिस में प्रस्तुत किए जाएं और इस पर आधा घण्टे बाद इस पर निर्णय लेता हूं। मैं आधा घण्टे के लिये सदन स्थगित करता हूं।

सदन अपराह्न 3.50 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदयः सुश्री राखी बिड़ला चौधरी फतेहसिंह जी नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इतना बड़ा यहां पर हल्ला हुआ, हमें इस बात का खेद है कि इस तरह से कुछ गुण्डे प्रवृत्ति के लोग इस हाउस के अंदर घुस गये।

अध्यक्ष महोदयः क्या, क्या?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जो हाउस के अंदर जिस तरह से गुण्डे लोग घुसकर आये, आपने....

अध्यक्ष महोदयः मैं कर रहा हूं, कर रहा हूं उसको।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं धन्यवाद।[1]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के वित्त वर्ष 2015–16 के हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेगें।

---

[1]पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर – 20068 पर उपलब्ध।

श्री सतैन्द्र जैन (शहरी विकास मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड वित्त वर्ष 15–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री नियम

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपने....

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं कर रहा हूं अभी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसीलिये तो हाउस एडजर्न किया था।

अध्यक्ष महोदयः हां, मैं कर रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जिन लोगों ने ये काम किया है, उन पर कार्रवाई होगी? यही काम करना था तो रोका क्यों गया हाउस को? आपने सर, इस हाउस को आधे घंटे के लिये मुल्तवी किया था और इस बात पर आपने मुल्तवी किया था....

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये, मैं आपको बता रहा हूं। बैठिए, दो मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकिण्ड, उस पर कुछ कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है। मैंने अभी आपसे

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–20069 पर उपलब्ध।

कहा है कि हम कर रहे हैं पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। अभी हो गई है, पूरी हो गई कार्यवाही, वो बोल रहे हैं।

अवमाननाकारियों के विरूद्ध प्रस्ताव

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, आपकी और सदन की सहमति से मैं एक मोशन मूव करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, इस मोशन पर सदन की सहमति?

(सदन द्वारा हाँ कहकर सामुहिक सहमति व्यक्त की गई।)

अध्यक्ष महोदयः प्रस्तुत करें।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी जैसा कि आज हम सब लोगो ने देखा ही है कि किस तरीके से दो लोग जिनका नाम जगदीश जगदीप राणा और आर कुमार, राजन कुमार बताया गया है उन्होंने विजिटर गैलरी से नारे लगाये, उसके लिये मैं एक मोशन मूव करना चाहता हूं और मैं उसको पूरा पढ देता हूं:

"Noting that the two persons namely Mr. Jagdeep and Mr. Rajan Kumar who shouted slogans from the visitors' gallery and threw pamphlets have committed a serious breach of privilege of the Members and contempt of the House ;

This House resolves that Mr. Jagdeep and Mr. R. Kumar be immediately sent to rigorous imprisonment for a period of 30 days starting today.'

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, इसकी चर्चा....

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सर, हाथ जोडकर विनती है। क्योंकि ये सारे हाउस की गरिमा की बात है....

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्योंकि आज आपकी पार्टी के एमएलएज के अंदर से आई है....

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड सिरसा जी, न तो आप इजाजत लेते हैं बोलने की....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, ना तो आप इजाजत लेते हैं बोलने की, अरे! भई आप बोलने लगते हैं। इजाजत लेते नहीं आप। या तो नियम को समझ लीजिये। सिरसा जी, आप क्या बात कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप या तो इजाजत लें बोलने की। हाथ खड़े करें आप। खडे होते हैं, बोलने लग जायें। मैं सबको इजाजत दे रहा हूं। आप सब का समय खराब कर रहे हैं। आप बैठिये दो मिनट। आप प्रॉपर वे में इजाजत लीजिए आप प्रॉपर वे में इजाजत लीजिए। नहीं, आप बैठ के इजाजत लीजिए। पहले बैठिए। उन्होंने इजाजत मांगी है पहले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मामला सदन की सुरक्षा और सदन की मर्यादा से जुड़ा है। उसके ऊपर दोनों युवा, क्योंकि दोनों सिख नहीं थे पर दोनों ने पगड़ी बांधी हुई थी, इससे हमारी पूरी कौम का, हमारी पूरी

कम्युनिटी का नाम खराब होता है। अब पता नहीं, उन्होंने पैसों के लालच में किया है, किसी गलत संगत में आ के ये काम किया है, तो इस चीज के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये चीज दोबारा रिपीट न हो देश में।

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, अब बताइये क्या कहना चाहते है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, जो जनरैल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है 295 के तहत भी इन पर कम्पलेण्ट जानी चाहिये और हम दे देंगे मैम्बर के रूप में स्टेटमेंट करके लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस हाउस के अंदर उनकी एंट्री कैसे हुई! हमारे हाउस के जिस सम्मानित मैम्बर ने इसके लिये साइन किये हैं, उसका नाम जाहिर किया जाये क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए दोनों कार्यकर्ता हैं। मै अभी टीवी पर देख रहा था। एक आम आदमी पार्टी से 2013 में इलैक्शन लड़ा। मेरे भाई जी अभी कह रहे थे कि किस संगत में पड़ गया आम आदमी पार्टी की संगत में पड़ा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये सिरसा जी, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी सर, हुकम करें आप।

अध्यक्ष महोदयः ये विषय बडा गंभीर है, इसको पॉलिटिकल बनायेंगे तो....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो आप जवाब...

अध्यक्ष महोदयः आपने जो बात....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए के

साइन से आता है, अगर हमारे साइन से आता तो हमें बाहर निकाल देते आप।

अध्यक्ष महोदयः आप ये बात....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बाहर निकाल देते आप लेकिन आप यहां पर कह के गये हैं कि जिस पार्टी से आया है, जिस मैम्बर के नाम से आया है, अभी मेरे सामने हाउस में पेश किया जाये।

अध्यक्ष महोदयः हां, मैं बोल रहा हूं। आप उसी विषय को रखिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं उसी विषय को रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः और मैं उत्तर दे रहा हूं उसका।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं उसी विषय को ला रहा हूं। उन मैम्बरों को हाउस से बर्खास्त किया जाये जिन मैम्बरों ने हाउस की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये पवित्र हाउस के अंदर जहां आप आप सुशोभित हैं, और भी सम्मानित लोग स्पीकर की कुर्सी पर सुशोभित रहे हैं और आपकी इस कुर्सी पर बैठे हुए माननीय स्पीकर साहब की कुर्सी पर बैठे हुए अगर आपके लोग इस तरह से आकर हमारे ऊपर ये प्रहार करने का काम था, यह काम जो उन्होंने किया है और ऐसे लोग जिस तरह से किस मैम्बर की जानकारी में इस हाउस के अंदर आये हैं, उस मैम्बर के खिलाफ कार्रवाई की जाये और अगले सैशन के लिये, जैसे ओ पी शर्मा को बैन किया था, उनको भी ऐसे दो सैशन के लिये बैन किया जाये।

अध्यक्ष महोदयः मैं ये हाउस की जानकारी में देना चाह रहा हूं जो अब तक इन्वेस्टीगेशन किया है सिरसा जी ने जो क्वैशचन उठाया है, जिसके आधार पर उनका पास बना है, किसी भी विधायक के उस पर हस्ताक्षर

नहीं हैं देट ईज ए मैटर आफ रिकार्ड उसमें कहीं कोई वो नहीं है और यहां के कर्मचारी के माध्यम से बना है कॉन्फिडैन्स में लेकर के बनवाया गया है उसकी इन्वैस्टीगेशन मैं पूरी कर रहा हूं उतनी देर बैठकर के...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिये सिरसा जी, अब इसको आप ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं बात पूरी कर लूं....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं पूरी बात ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे पूरी बात ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी अभी उसको, नहीं भई सिरसा जी, ये बात ठीक नहीं है प्लीज। अब आप बैठिये

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इसको मैं इन्वेस्टीगेशन में दे रहा हूं पहले

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई सिरसा जी इसको

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने जब मेरे को यहां से 280...में बात आ रही थी,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने कहा था 59 में मैं दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः हां, उसका बोल रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सत्येन्द्र जैन जो यहां पर बैठे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप इनके खिलाफ काम रोको....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, आपका मुझे मिला है मैं बता रहा हूं, उसमें रूलिंग दे रहा हूं। अब मैं रूलिंग दे रहा हूं आपको। ये पुस्तक है सिरसा जी, मुझे आश्चर्य होता है आप पहले भी इस सदन के सदस्य रहे हैं जो आपने मोशन मूव किया है, एक सैकेंड त्यागी जी प्लीज, जो मोशन मूव किया है इसमें कम से कम 1/6th स्ट्रैंग्थ चाहिए उस मोशन को मूव करने के लिए और 1/6th तो क्या कुल दो बैठे हैं आज तीन भी नहीं है तो इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। आपको मोशन मूव करने से पहले किताब को पढ़ना चाहिए, रूल देखना चाहिए। अब बैठ जाइए। अब इसमें नो डिस्कशन। मैंने वो रिजेक्ट किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब सिरसा जी अब नहीं। अब आप बैठिए, अब सदन की कार्यवाही, आप पढ़ लीजिए मैं पेज नंबर दे रहा हूं। मैं पेज नंबर दे रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये रूल 59....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसा है इसका एक बार रूल 59 को पढ़ लीजिए पूरा। 59 को पढ़कर के उसमें आ जाइए, 1/6th strength चाहिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो कोई नहीं अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान) 1/6 भी निकल आएंगे। आप इस पर वोटिंग करो 1/6th भी निकल आएंगे।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, मेरा आपसे ये कहना है कि इस ढंग से सदन का मजाक मत बनाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप कम से कम रूल को देख लीजिए। हां मैने कहा मैं इस पर रूलिंग दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत

प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वो न कहें,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए बैठिए।

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(प्रस्ताव के समर्थन में सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए। अब माननीय सदस्य बैठ जाए, प्लीज। जो इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, वो खड़े हो जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, ये कोई तरीका नहीं है। आप फिर कहेंगे। नहीं, आप बोल किससे रहे है? सब्जी मंडी बना रहे है आप इसको। बात किससे कर रहे है, अध्यक्ष से। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है आपका। आप बात कहां कर रहे है, क्या बात हो रही है, अध्यक्ष बैठे है कोई बात नहीं।

कोई परमीशन नहीं, फिर वहां से बोलते है तो आपको परेशानी होती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 'प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। उन दोनों व्यक्तियों को एक महीने के लिए जेल भेजा जाए' ऐसा मैं आदेश दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे अभी जो इंक्वायरी में आएगा, मैं उस पर देखूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, 295 एक ही लाईन आई थी और जो उन्होंने कहा....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो मुझे जो मैक्सिमम अधिकार है, वो मैं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

सरकारी संकल्प (नियम–90)

अध्यक्ष महोदयः वो मैं इंक्वायरी में देख लेता हूं उसको। अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री 'नियम 90' के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति मागेंगे।

विधि एवं न्याय मंत्री (कैलाश गहलोत) : Speaker sir with your permission, may I know the calling resolution , the Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 28th June, 2017.

अध्यक्ष महोदयः पहले परमिशन मांगिए।

विधि एवं न्याय मंत्रीः जी, Speaker sir, I ask for your permission.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा अनुमति मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वो ना कहें,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सदन द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

विधि एवं न्याय मंत्रीः Thank you Speaker sir.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि व न्याय मंत्री 'नियम 90' के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगें। प्रस्तुत करें।

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): "The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 28 June, 2017:

Taking note of the fact that there are thousands of families living in different area of Delhi such as Najafgarh, Matiala, Mundka, Kanjhawala, Mehrauli, Narela etc, who had been allotted small parcels of Gram Sabha land way back in the 1970s and early 80s, including the allotments made under the Government of India's 20-point programme;

Speaker Sir, with your permission इस रेजल्यूशन को आगे ले जाते हुए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे में जो हम लैण्डलेस लोगों को जो ग्राम सभा लैंड एलाट किया गया था 1970 और 1980 में।

इस इश्यू पर लगभग एक या दो विधान सभा क्षेत्र नहीं, लगभग पन्द्रह से बीस विधान सभा क्षेत्र जो पूरे रूरल पार्ट ऑफ डेली में हैं, वहां पर लोग एफेक्टिड हैं। लगभग 40–50 साल पहले जो ग्राम सभा लैंड सरकार ने दी थी इनको। वो जो एक्ट है, वो 'डेली लैंड रिफोर्म एक्ट' है 1954 का तो उसके जो दो–तीन मेन प्रोविजन्स हैं, मैं आपकी अनुमति के साथ वो पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर सर, सैक्शन 74 जो 'डेली लैंड रिफोर्म एक्ट' का है, वो ये कहता है कि 'ग्राम सभा कोई भी व्यक्ति जिसके पास लैंड नहीं है, उसको कुछ लैंड एलाट की जा सकती है' और एक बार जब सैक्शन 74 के अंदर उस व्यक्ति को लैंड एलाट कर दी जाती है तो दिल्ली लैण्ड रिफॉर्म एक्ट के अंदर उसको 'आसामी' कहा गया है तो 'आसामी' एक टर्म है और दूसरी जो टर्म है वो 'डेली लैंड रिफोर्म एक्ट' के अंदर 'भूमिधर' तो इन दोनों जो टर्म्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है जो भूमिधर है वो कम्पलीट ओनर है और वो अपनी लैंड को आगे ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार से अगर उसको वो ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जो सैक्शन 74 के अंदर जो गांव सभा या सरकार ने जो उनको लैंड दी, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता और उसको ये लैंड केवल पांच साल के लिए दी गई पहले शुरूआत में और स्पीकर सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो लैंड ऐसे लोगों को दी गई, हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं, हजारो परिवार इससे एफेक्टिड है। इनको जो ये लैंड दी गई ये कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी, ये वेस्ट लैंड थी और जो पूरा दिल्ली लैण्ड रिफॉर्म एक्ट का जितने भी सैक्शंस हैं, प्रावधान हैं और जो स्कीम है एक्ट की, वो एक्ट की स्कीम ऐसी रही है कि इस व्यक्ति को जो 'आसामी' हम कह रहे है, उसको ये लैंड एलाट की गई और उसकी कंडीशन ये थी कि वो इस लैंड पे मेहनत करेगा, अपना पैसा उस लैंड

पर लगाएगा और उस लैंड को कल्टिवेबल यानि उपजाऊ जमीन बनाएगा। अगर इस 'आसामी' ने पांच साल के अंदर ऐसा किया तो जो सैक्शन 74(4) है जिसको पूरी दिल्ली देहात में ये मशहूर है सैक्शन 74(4) के नाम से तो 74(4) के तहत रैवन्यू एसिटेंट जो यूजअली उस एरिया का एसडीएम होता है, उस एसडीएम को ये पावर दी गई कि वो उसको गांव सभा की रिपोर्ट पर कि इस व्यक्ति ने मेहनत की ओर उस लैंड को कलटीवेबल किया, ऊपजाऊ बनाया, अपना पैसा लगाकर, सरकार का पैसा लगाकर नहीं, अपनी मेहनत करकर, तो गांव सभा की रिपोर्ट पर वो एसडीएम जो रेवैन्यू अस्सिटैंट है, आगे सरकार को आदेश देगा कि उसको भूमिदार बना दिया जाए। ऐसा ये पूरा 74 की जो स्कीम है वो इस प्रकार से है। तो एक चीज क्लीयर होती है कि जिस व्यक्ति को वेस्ट लैंड जो बंजर जमीन है, जो 1970 में 1980 में ऐसे परिवारों को दी गई, उसने अपनी मेहनत के साथ अपना पैसा लगाकर उस जमीन को उपजाऊ बनाया और ऐसे हजारों लोग जो हैं, वो आज भी ऐसी जमीन पर कर्जे में है, पोजेशन में है और आज भी उस पर खेतीबाड़ी वो कर रहे है और ये पूरा जो दिल्ली लैंड रिफोर्म एक्ट की जो स्कीम है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, तो हमारे जितने भी लैंड रिफोर्मस 1950 में हुए, वो उसको माइन्ड में रखते हुए किया गया, अगर हम अपने संविधान की भी बात करें तो इवन जो preamble, it mentions about the equality and justice not only economic or other justice , but also social. तो ये पूरी स्कीम में प्रिएम्ब्ल और हमारे फंडामैंटल राईटस है, ये वहीं से फ्लो कर रहा है कि जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं थी जो वीकर सैक्शन के थे जो अंडर प्रिविलेज्ड थे, उनको इस प्रकार की लैंड दी जाए ताकि उनके पास भी अपने परिवार का पेट भरने का जरिया मिले, लेकिन स्पीकर साहब बड़े दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि despite we talking about our fundamental rights of equality अगर

हम सोशल जस्टिस की बात करें जो कि इन्ग्रेंन्ड है हमारे संविधान में लेकिन 1970 से लेकर, 1980 से लेके हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आज तक भूमिदारी राइटस जो है, वो नहीं दिये गये जिनको लैंड दी गई थी, उनके बच्चे, उनके बच्चे जो हैं आज कब्जे में है, उसी जमीन के, लेकिन सैक्शन 74(4) की अगर हम स्कीम भी पढ़ें तो स्पीकर सर, सैक्शन 74(4) जो है, वो कहता हैः

"At the end of five years, the gram sabha shall report to the Revenue Assistant, the extent to which reclamation has been made. The Revenue Assistant shall after necessary inquiry and after hearing the Asaami, either order termination of the lease and his ejectment if there has been no reclamation or extend his lease for another period of two years.

आगे जो मैं ध्यान चाहूंगा जो पढ़ रहा हूंः if however the land has been duly reclaimed during the period of five years. The Revenue Assistant shall direct the gram sabha to admit the asaami as bhumidaar under section 73.

तो गांव सभा की डायरेक्शन पर सरकार की डायरेक्शन पर ऐसे लोगों को भूमिधर बनाना चाहिए था जिस सैक्शन 73 के लेकिन हजारों परिवार आज भी अगर कहीं कोई चूक रही तो वो गांव सभा की रही और स्पीकर सर आपको मालूम है कि बीच में जो ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत वगैरह थी वो अबोल्यूश हुई उसको बाद डायरेक्टर पंचायत और बीडीओ के थरू ये सारी चीजें होती आई। तो अगर वो ऑनैस्ट था, अगर ओबलीगेशन था, अगर कोई ड्यूटी थी तो वो सरकारी जो हमारे महकमे हैं उनकी थी कि सही समय पर उसकी इन्कवायरी करें और अगर उस किसान ने, उस

आसामी ने वो लैंड रिक्लेम की है तो वो रिपोर्ट रिवैन्यू असिस्टैंट के सामने रखी जानी चाहिये थी और उसको सैक्शन 73 के अंदर भूमिधर राइटस देने चाहिये थे। स्पीकर सर, लगातार ढाई साल से जितने भी हमारे विधायक भाई हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, उनके पास हर दिन लगातार काफी भारी संख्या में ऐसे जो आसामी है वो आते है और बार–बार उन्होंने ये सवाल किया। 2012 में कैबिनेट में भी पास किया और ऑनरेबल एलजी को ये प्रस्ताव भेजा गया कि ऐसे जितने भी आसामी है या उनके जो बच्चे आज है उनके जो भी ऐबज है और जो कब्जे में है जो पोजेशन में उनको भूमिधर बनाया जाए। लेकिन 2012 से अब 2017 हुआ लेकिन इस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मैं सिर्फ नजफगढ़ विधान सभा की बात करूं तो लगभग 110 केस एसडीएम कोर्ट में आज भी पैंडिन्ग है और ये रिपोर्ट है इसमें बिल्कुल क्लीयरली लिखा हुआ है सैक्शन 74(4) के अंडर ही ये कैसिज पैंडिंग है। तो स्पीकर सर ये भी बड़ा गम्भीर विषय है कि ऐसे क्या कारण है कि और इसमें क्लीयरली जो डेट ऑफ इन्सीटयूशन है, ये भी मेन्शन किया हुआ है। अगर मैं कुछ केसिज देख रहा हूं जो 1988 से ये केसिज एसडीएम कोर्ट में पैंडिन्ग है। तो न तो हमारे रैवन्यू अस्सिटेन्ट इन केसिज को डिस्पोजऑफ कर रहे हैं न उनके हक में कर रहे है और जितने भी हमारे under privileged sections के आसामी है वो बार एसडीएम कोर्ट में डेटों के लिये वकीलों को पैसा लेते हैं लेकिन उनको आज तक कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। अगर हम दूसरे स्टेटस की बात करें स्पीकर सर, तो कल ही मैं इन्टरनेट पर मैं जो कुछ इसके बारे में पढ़ना चाह रहा था तो हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, 'State Govt. to give land to landless farmers' और ये एक्रॉस इंडिया है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करे, चाहे हम किसी भी नॉर्थ इंडिया की स्टेट

की बात करें 'surplus land to be given to landless' केरला का आर्टिकल है, उड़ीसा में National Rights Human Commissioner has gone to the extent of giving directions to the Govt.' कि अगर ऐसे लैंडलैस लोगों को किसी भी स्कीम के अंदर ये लैंड या प्लोट दिये गए हैं तो एनएचआरसी में ये डायरेक्शन 2015 में किसी एक केस में ये पास किए है। तो स्पीकर सर एक चीज क्लीयर होती है कि जिन भी लैंड लैस लोगों को जो हम आसामी कह रहे हैं बार–बार दिल्ली रिफोरम एक्ट में उनको जो लैंड दी गई थी उनको भूमिधर राइटस दे देने चाहिये और उसी का ये रैजूलुशन मैं आगे पढ़कर, Now I am moving resolution now:

**Taking note of the fact that there are thousands of families living in different area of Delhi such as Najafgarh, Matiala, Mundka, Kanjhawala, Mehrauli, Narela etc, who had been allotted small parcels of Gram Sabha land way back in the 1970s and early 80s, including the allotments made under the Government of India's 20-point programme;

Dismayed by the fact that these persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) have not been declared as Bhumidars under the DLR Act, despite having reclaimed the waste land and continue to be in possession carrying out agricultural activities;

Noting that Section 74 (4) of the DLR Act makes it clear that once a person was admitted as Asami then, at the end of five years, it was duty of the Gram Sabha to report to the Revenue Assistant the extent to which reclamation has been made by such person and thereafter it was duty of the Revenue Assistant to carry out necessary enquiry and after hearing the Asami, either order the termination of the lease and

his ejectment if there has been no reclamation or extend his lease for another period of two years;

Also noting that if, however, the land has been duly reclaimed during the period of five years or during the extended period, the Revenue Assistant shall direct the Gram Sabha to admit the Asami as Bhumidar under section 73;

Brings to the notice of the Hon'ble Lieutenant Governor the Cabinet decision No 1891 dated 21.05.2012 approving the grant of Bhumidari rights to original allottees or their next of kin or legal heirs, if they are still in possession of the said land parcels and are carrying out agricultural activities;

Strongly urges the Hon'ble Lieutenant Governor that all the persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) be declared as Bhumidars, at once.'

अध्यक्ष महोदयः थैंक्यू।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, अभी जो एक्ट में लेके आया हां, उसमें दो कामयाबी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

अध्यक्ष महोदयः अभी चर्चा में आप दीजिएगा। आप अपना नाम भेजिए, उसमें आयेगा। जो करतार सिंह तवंर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहां पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का और मुख्य मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसा विषय जो दिल्ली देहात के गरीब किसानों मजदूरों और एससी/एसटी के उन लोगों से जुडा हुआ है

जिनके पास न दिल्ली में कोई खेती की जमीन थी और न रहने के लिए मकान थे। जैसा कि मंत्री जी ने बड़े ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरकारी नियम के तहत ये मकान दिए गए थे और 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर और सैक्शन 74 में जो दिल्ली लैंड रिफोर्म की धारा है 1954 के अंदर डीएलआर एक्ट 1974 में भूमिहीनों को एक–एक एकड़ जमीन दी गई थी। अध्यक्ष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 35 से 40 वर्ष होने के बाद भी उन लोगों के साथ आज तक उनको न्याय नहीं मिला और बहुत ही इनजिस्टिस उनके साथ हुआ है। समय–समय पर बहुत सरकारें आती रही लेकिन जो एक्ट के तहत जो उनके अधिकार थे जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया पांच वर्ष अपना पैसा खर्च करने के बाद पाचं वर्ष तक उस बंजर जमीन को खेती के उपयोग में लाने के बाद भी उनको अपने अधिकार नहीं दिये गए। अध्यक्ष जी कुछ जगहों पर जैसे कि महरौली तहसील है। वहां पर महरौली तहसील में जितने गांव आते हैं करीब–करीब सभी में ये जमीन जो अलॉट की गई थी, वहां पर 2000 और 2001 के आसपास कुछ गांवों में भूमिधारी के अधिकार दिए गए है। लेकिन ज्यादातर पूरी दिल्ली के जो गरीब किसान हैं जो भूमिहीन किसान थे, वो इससे वंचित रहे हैं। अध्यक्ष जी, उस वंचित रहने के कारण कई जगह पर उनके साथ ह्रासमैंट होता रहा है। सरकारी अधिकारी कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय करते रहे। जमीन आज भी उनके कब्जे में है। कई जगह पर शायद उनसे जमीन वापिस लेने की प्रक्रिया भी एक दो जगह पर सुनने में आई है। कुछ जगह पर जैसा कि मैने महरौली में बताया वहां पर भूमिधारी के अधिकारी दिये भी गए रेवून्यू एसिस्टेंट द्वारा। अध्यक्ष जी, जिन लोगों को अधिकार दिए गए हैं, आज वो जमीन के मालिक तो बनें है लेकिन उनको भी पूरे अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर 2001 में उस जमीन का मालिक बन गया आज वो रेवून्यू रिकार्ड में भी जमीन का मालिक है। अगर उसकी अपनी कोई

जरूरत है। उसको कोई अपने बच्चों की फीस भरनी है उसको कोई अपना मकान बनाना है या कोई व्यवसाय करना है। अगर वो उस जमीन को बेचना चाहता तो उसको बेचने का अधिकार नहीं है। मालिक होते हुए भी। होता क्या है कि जमीन तो उसको बेचनी है अगर वहां पर जमीन का रेट 100 रूपये है तो वो उसको अटोरनी पर बेचनी पडती है क्योंकि डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलती। और उसकी जमीन बिकती है 30–35 रूपये ज्यादा से ज्यादा 50 रूपये में। उसका फायदा कोई न कोई और लोग उठा लेते है। जमीन भी बिक जाती है और उसको उसकी जमीन की कीमत का आधा भी रेट नहीं मिलता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज सदन के माध्यम से ये किया जाए कि जिनको भूमिधारी के अधिकार मिल चुके हैं जो भूमिधर बन चुके हैं उनको उस जमीन को बेचने के लिए भी एनओसी जो दी जानी चाहिए जिससे कि उनको बाजार मूल्य अपना जमीन का पूरा मिल सके और जिन लोगों को 35–40 साल बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला जिनको वो अधिकार नहीं मिला उनको जल्दी से जल्दी क्योंकि पांच वर्ष बाद उनको न्याय मिलना चाहिए था उनको अधिकार मिलना चाहिए था उनको जल्दी से जल्दी भूमिधारी का अधिकार देकर उनको ओनरशिप दी जाए। अध्यक्ष जी, इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली में करीब 100 से ऊपर गांवों में ऐसे लोगों को जो एससी/एसटी से सम्बन्धित थे, जिनके पास गांव में रहने के लिए कोई मकान नहीं था या जो भूमिहीन थे जिनके पास गांव में मकान नहीं था, उनको रहने के लिए रिहायशी प्लाट भी 100 से और 120 गज के गांव में दिये गए थे वो भी इसी दौरान 80 के आसपास ही दिये गए थे। आज वहां की स्थिति ये है कि वो मकानों में रह रहे हैं। कॉलोनियां बनी हुई है लेकिन उनको अपना भूमिधारी का अधिकार नहीं है। वो उनके मालिक नहीं है। वो सिर्फ पट्टों पर रह रहे हैं। ऐसी दिल्ली में 104 कॉलोनी है। उनके साथ आज भी कहीं न कहीं ह्रासमैंट होता है। जब वो अपना मकान

बनाते हैं तो सभी एजेन्सीज वहां पर आ जाती हैं। किस तरीके से वो अपना मकान बना पाते हैं, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। हमारे सारे विधायक जानते है। सब लोगों उससे परेशान रहते है। अगर वो उसको बेचना चाहते हैं, सिर्फ उनके पास एक पट्टा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकते फिर उनको वो ही आधा रेट मिलता है। अगर 100 रूपये का प्लाट है तो उनको 50 रूपये ही मिल पाते हैं। वो बेचारे गरीब मजदूर जो हैं फिर वहां पर नुकसान उठाते हैं। कोई उनको बैंक से लोन नहीं मिलता। कोई उनका नक्शा पास नहीं होता। तो इस सैक्शन के 74(4) में ये दोनों ही चीजें आती हैं। खेती की जमीन जो एग्रीकल्चर के लिए दी गई और रिहायशी प्लाट। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 2012 में जो कैबिनेट से जो प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय के पास गया, आज वह करीब पांच साल से लम्बित पड़ा है। तो मैं तो सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो ऐसे गरीब लोग जिनको आज तक 35–40 साल तक भी न्याय नहीं मिला, उनको न्याय मिलना चाहिए और सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि अब से पहले कई बातें हुई होगी लेकिन किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया। मुख्य मंत्री जी हमेशा इस बारे में पिछले दो वर्षों से लगातार सभी विधायकों के साथ चर्चा करते रहे हैं और इस पर पूरी कोशिश की गई है। तो आज जो यहां पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया, इसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत रेजलूशन पर मुझे बोलने का अवसर दिया। दिल्ली में लगभग 360 गांव है। और उन गावों की दुदर्शा किसी से छुपी नहीं है। न आज है न पहले थी। इसी लिए 1970 के दशक में उस समय की सरकार ने

एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली के गांव में कुल गरीब लोगों को जिनके पास न रहने को मकान थे, चाहे वो वीकर सैक्शन के लोग हैं चाहे वो एससी/एसटी के समाज के लोग हैं चाहे है वो मजदूर हों, उनको रहने के लिए दो से ढाई बिस्वा जमीन अर्थात 100 से सवा सौ गज जमीन रहने के लिए और लगभग एक एकड़ जमीन उनको खेती करने के लिए मुहैया कराई। ये जमीन जो मुहैया कराई गई है, वो जमीन थी जो बंजर थी और गांव के साथ गांव की खेती बाड़ी की जमीन से लगती हुई जमीन थी। इस जमीन को देते वक्त उनका स्टेटस था आसामी का। आसामी अर्थात वो जमीन के कब्जे के लिए सरकार को एक किराए के रूप में उस जमीन को जोते–बोए। यहां मै दो चीजों डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा कि गांव के पड़ोस में अगर बसी हुई बंजर जमीन को कोई भी इन्डीविज्युअल अपनी मर्जी से अर्थात बिना ग्राम सभा की प्रमिशन के जोतने बौने लगे और वो लगातार तीन साल ऐसा करता रहे और छः गिरदावरी अपने नाम पर चढ़ा ले तो उसको भूमिधारी का राईट सैक्शन 85 दिल्ली लैंड रिफोर्म एक्ट में मिल जाता है और दिल्ली में लगभग 1980 तक ये लगातार होता रहा। जो लोग सरकार की बिना मर्जी के, गांव सभा की बिना मर्जी के गांव की जमीन को हथिया के उस पर खेती बाड़ी करने लगे चाहे वो किसान थे या बेकिसान थे। उन लोगों को एसडीएमस ने जो रेवेन्यू एस्सिटेंट कहलाते हैं दिल्ली लैंड रिफोमर्स एक्ट में उनको भूमिधारी के राईट दे दिए। परन्तु दुर्भाग्य कितना है कि जिन गरीब लोगों को सरकार ने एक नियम के तहत उन लोगों को जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा से जोडने के लिए और देखकर कि उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास न रहने को जगह है, न खेती करने को खेत हैं, उनको जो जमीन सरकार ने दी, ये दुर्भाग्य की बात है आज दिन तक उनको भूमिधारी राईट नहीं मिल पाए हैं। उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों

ने उस बेखेतीहर जमीन को खेती के लायक बनाया और तीन साल गुजरने के बावजूद भी जब उन लोगों ने कोशिश की जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1988 से भी ज्यादा टाईम केसेज अभी भी अगर एसडीएम के कोर्ट में पैन्डिग हैं तो इस सिस्टम के लिए शर्म की बात है। इससे पहले जैसे मैने बताया कि जो लोग काबिज कर गए बिना अनुमति के उनको आज से भी भूमिधारी राईट नहीं दे रहे है। चाहे वो किसी कारण से मिलते हों और मैं इस सदन को बता दूं उनमें से बेईमानी एक बड़ा कारण है। जो जैनुइन लोग हैं जिन लोगों को सरकार ने उस सीएम के तहत ही उनको आज दिन तक भूमिधारी राइट नहीं जबकि वो लगातार उस जमीन को जौत बौ रहे हैं जोकि कानून के मुताबिक सेक्शन 85 एक्ट किसी भी इन्डिविजुअल को राइट देती है कि अगर वो सरकारी गांव सभा की जमीन पर तीन साल अर्थात् 6 खरीफ और रबी की फसल को उगा दे तो उसे भूमिधारी का राइट मिलेगा। परन्तु जिस जमीन को सरकार ने दिया हो, उस पर नहीं मिलेगा, उस पर आज भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ उस खेतिहर मजदूर को उस एसएसी/एसटी समाज के आदमी को उस जो सबसे ज्यादा नीचे पिसा हुआ दलित व्यक्ति है, उसको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी जमीन पर जो उसको रहने के पर्चे दिए थे ये 12112 गांव में 12725 अलॉटमेंट हुई थी, उन लोगों को चूंकि वो केवल आसामी का स्टेट्स है बिजली लेने में दिक्कत आई जोकि वो उसके एनटाइटलमेंट नहीं है उनके पास। उनके इलाके में कोई डवलपमेंट का काम नहीं हुआ। उन लोगों को चूंकि उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं था लिहाजा वो उसको बेच नहीं सकते थे और उसका कारण एक ओर ज्यादा डेवलप उस रूप पे होगा कि उनका उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। आज के दिन भी अगर हम देखें तो जो आरिजनल अलॉट हुई है, सब मुझे नहीं लगता 50 परसेंट से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जोकि उससे ज्यादा लोग अपनी

गरीबी और अपना जो गवर्नमेंट का जो करप्ट सिस्टम है उसमें दुष्चक्कर में फंसके उन लोगों ने अपनी जमीन को जो अभी माननीय सदस्य ने भी बताया कि अपनी जमीन को चूंकि उनके पास मालिकाना हक नहीं थे, ओने पोने भाव पे बैचने को बाध्य हैं। यही हालात उस एग्रीकल्चर लैंड की है, जिस लैंड को गवर्नमेंट ने उनको एक एकड़ लैंड दी पर चूंकि वो केवल आसामी बने रहे। भूमि का राइट नहीं मिला। आज 43 साल लगभग हो गए हैं 1974 को उस 1974 की अलॉटमेंट के बाद आज लगभग 40 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद वो लोगों उससे आसामी तो हैं उस जमीन पर किराएदार की हैसियत से पर मालिस की हैसियत नहीं है। उसी वजह से उनकी जो पुश्तें जो आगे बढ़ी पीढ़ी आज दादा से बेटा और बेटा से पौते पर आ गई, उनके पास भी कोई अधिकार नहीं है। उस जमीन को अपना कहते न तो बैच पाते, न अपना कहके उस जमीन पे कोई मकान बना पाते हैं, न उसको अपनी कहके कोई डवलपमेंट का काम कराना सकते हैं चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सीवर डिपार्टमेंट का हो। इसी कारण बहुत सारी कालोनियां जो ऐसे लोगों को जो सरकार में उस साल में उनके जीवनयापन को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए जो दी, आज उससे भी ज्याद बदत्तर हालत में है और एक इसका सबसे बड़ा और ज्यादा नुकसान हुआ है कि आज के दिन भी वो लोग बिना ऑनरशिप राइट्स के उस जमीन केवल किराएदार की हैसियत रखते हैं। सरकारों ने बहुत ज्यादा कोशिश की मैं ओर बता दूं चूंकि गांव सभा की लैंड सरकारी जमीन नहीं कहलाती लिहाजा जो जो हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट में काम करने का उसको उसमें केजुअल लिया जिसकी वजह से इनके जीवन यापन के लिए इन लोगों को इस मकान की या जो जमीन है खेती की, उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए आज तक कभी भी

सिंसियर्ली एफर्ट नहीं हुए। आज वो लाग चाहे जमीन के मालिक बने हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मदन लाल जी कन्क्लुड करिए। प्लीज कन्क्लुड करिए।

श्री मदन लालः उसका प्रपोजल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस प्रपोजल के तहत उन लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए वो सभी एफ्र्टस करेगी जोकि बहुत बड़ी बात हुई कि जहां जहां कहीं कहीं डीडीए ने इस जमीनों को एक्वायर किया और वो जमीन भी एक्वायर कर ली गई जो अलॉट हुई थी, उसका कम्पन्सेशन भी उस अलॉटिड परसन को नहीं मिला बल्कि उसे गांव सभा को दिया गया, ये और ज्यादा दुख की बात हुई। जहां जहां जमीन कन्सोलिडेशन में आ गई या जहां जहां किसी ओर डवलपमेंट में आ गई उस जमीन को उसी शान से अलॉटिड परसन से छीन के सरकार में इंवेस्ट कर दिया गया, ये और भी ज्यादा दुख भरी है। आज जरूरत है उन सभी अलॉटिस को आईडेंटिफाइड करके उनका अधिकार दिलाने की और उस अधिकार के साथ साथ उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए जो सेक्शन 85 में ऑर्डनरी आदमी के पास मौजूद है वो इन लोगों को भी दिलाया जाए इसलिए मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने बहुत जो सामयिक विषय है, उसके ऊपर आज यहां चर्चा कराके एक प्रपोजल यहां दिया है, मैं उसका समर्थन करता हुए, आशा करता हूं कि उसपे सही से कार्रवाई होगी और उन लोगों को अपना हक मिलेगा जिसके लिए वो पिछले 40 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे ग्रामीणों के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी आज से पहले गांव के बारे में सोचने वाले कभी कोई मुख्यमंत्री आए नहीं। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने गांवों के बारे में सोचा है और वो भी बहुत सीरियसली सोचा है। सबसे पहले उन्होंने जो एक बार फसल गांव की बर्बाद हो गई थी, उसके लिए 50 हजार पर हैक्टेयर के हिसाब से कम्पन्सेशन दिया और ये दिखाया कि सरकार गांव वालों के साथ खड़ी है और अगर उनको इस तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसके बाद में जब सर्कल रेट की बात आई तो सर्कल रेट भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए और साथ ही जो अभी पिछला बजट आया है, उसमें सभी गांवों की चाहे वो शहरी गांव हो या रूरल विलेजिज हों उनकी सबकी सुध लेते हुए जो उनमें डवलपमेंट वर्क के लिए 600 करोड़ रुपये का जो बजट रखा गया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी सरकार गांव के लिए बहुत ही अच्छी तरह से डवलपमेंट के लिए सोच रही है। गांव की अलग अलग तरह की कई समस्याएं रही जैसे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अन्दर सेक्शन 33 में एट स्टैंडर्ड एकड़ की एक लिमिटेशन होती है इसके अलावा सेक्शन 81 बहुत फेम्स है कि ग्राम सभा में जमीन वेस्ट कर दी जाती है और ग्रामीणों को उसमें किसी तरह का कोई कम्पन्सेशन नहीं मिलता। इसी तरह से 74(4) भी बहुत फेम्स है गांव में आज ये 74(4) का जो मुद्दा माननीय मंत्री जी ने उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे गांव से एक मंत्री दिया है, उनके लिए, मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार इनका धन्यवाद करें और जैसे ही हमारे मंत्री जी आए हैं, उन्होंने आने के तुरन्त बाद ये 74(4) का मुद्दा जो गांव का उठाया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि गांव से

हमारे मंत्री और गांव का ही मुद्दा उठाया सदन के अन्दर। ये मुद्दा अभी काफी डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है कि भूमिहीनों को जमीन अलॉट की गई और 20 प्वाइंट प्रोग्राम में प्लॉट्स अलॉट किए गए और उनको मालिकाना हक नहीं दिया जिसकी वजह से उनका काफी उत्पीड़न होता रहा। अगर उनको बैचने की जरूरत हुई तो जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उनको पूरा पैसा नहीं मिला और उनको तरह तरह की जो भी सुविधाएं उस जमीन पे चाहिए थी, वो नहीं मिली और जहां मिली अगर भूमिधर राइट जहां पर मिला है तो उसमें फिर एनओसी नहीं मिलती वो फर्दर उसको पावर ऑफ अटोर्नि पे बैचने के लिए मजबूर हुए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो ये रेज्युलेशन माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, इसका समर्थन करता हूं और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी हमारे पूरी दिल्ली में जो हमारे जिनको भी ये जमीने अलॉट की गई है, ये प्लॉट अलॉट किए गए हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार माननीय मंत्री जी इस पर तुरन्त जो भी सम्भव कार्रवाई है, वो करें और हम सब सारे जितने भी ग्रामीण सदस्य हैं, वो पूरी तरह से हम इसका समर्थन करते हैं और मैं यही कहूंगा कि इसको अगर जरूरत पड़े तो एल.जी साहब के पास भी ये मुद्दा रखना चाहिए और हम लोगों को जा के मिलना चाहिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं भाई कैलाश गहलोत को जिन्होंने आज इस संकल्प को सदन के सामने रखा और निश्चित तौर पर इस सदन में पिछले 15–20 वर्षों के अन्दर दिल्ली देहात से चुनकर आए हुए विभिन्न दलों से कई सारे सदस्यों ने अपनी राय इस मुद्दे पर रखी है और ये मुद्दा लगातार इस सदन में प्रस्तुत होता

रहा। वर्ष 2002 के अन्दर कांग्रेस सरकार में एक कमेटी बनी मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त की गई। उसमें भी बताया गया कि किस तरह से अलॉट करते हुए खामियां बरती गई और उसमें भी ये माना गया कि हां, 5 साल उसके ऊपर खेती बाडी करने वाले किसान को उसका मालिकाना हक दिया जा सकता है उस रिपोर्ट का ये कहना है। बड़े दुख की बात है कि वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार ने कैबिनेट में डिसिजन लेते हुए और उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के पास भेजा था। मैं अक्सर इस विधान सभा का सदस्य होने के बाद एक चीज महसूस करता हूं कि किस तरह से केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार का जो टकराव रहा और जिसमें खास तौर से दिल्ली सरकार को काम करने में बार बाधाएं पेश की जाती हैं। शायद 2012 में कांग्रेस सरकार के सामने इस तरह की बाधा नहीं थी कि इस रिजोलूशन को पास न किया जा सके। इसे एक बात प्रतीत जरूर होती है कि वर्ष 2011 में कांग्रेस ने दिल्ली के अलग–अलग विधान सभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बड़ी–बड़ी सभाये करके इसका राजनीतिक उपयोग खूब सारा किया कि हम इस बार आपको आपकी जो जमीन है, उसका मालिकाना हक दे रहे हैं। इस बार आपका कैबिनेट एक प्रस्ताव पास कर रहा है। उसको हम केन्द्र सरकार के पास भेज रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी। करीबन 6800 एकड़ जमीन ये दिल्ली के अन्दर है जिसमें से करीबन 1800 एकड़ जमीन का जो राईट है, भूमिधर हैं। वो लोगों को मिला लेकिन 5000 लोग तब भी वंचित थे। उनको उम्मीद बंधी कि इस बार शायद ये काम हमारा होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी तो सेन्टर में भी कांग्रेस की सरकार थी और ये बहुत आसान काम उस समय दिल्ली के लोगों को लगा था लेकिन वर्ष 2013 के चुनाव आते–आते दिल्ली की जनता को और इस जमीन का जो उपयोग करते थे, उन सभी किसानों के समझ में आ

गया की आपका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस के द्वारा किया गया है जो अपने आपको एससी/ एसटी का, गरीबों का मसीहा मानती है, उन्होंने उनकी पीठ में छूरा घोपने का कार्य किया था। अध्यक्ष महोदय, समस्यायें बहुत हैं। अभी पिछले 6–7 साल से काश्तकारी कहें या गिरदावरी कहें, जमीन के अन्दर मालकियत में तो ग्राम सभा लिखा होता था लेकिन कम से कम इतना तो था कि उसके काश्तकार में वो किसान बैठा था, जिसको एलाट की गयी। वो गिरदावरी उस किसान के नाम थी लेकिन पिछले 5–6 सालों से उस गिरदावरी को भी खत्म कर दिया गया और वहां पर भी ग्राम सभा लिख दिया गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत आयी और उसका हर्जाना ये भरना पड़ा कि जब दिल्ली के अन्दर वर्ष 2015 के अन्दर फसलें बर्बाद हुईं और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माननीय अरविन्द केजरीवाल जी ने बीस हजार रूपये एकड़ जब जमीनों पर फसलों का मुआवजा दिया तो ये जितने भी लोग थे जिनकों ये जमीन एलाट हुई थी। जिनकी फसलें बर्बाद हुई थी, जो किराये पर पानी लेकर अपनी जमीन में खेतीबाड़ी उगाते थे। फसलें तो उनकी भी बर्बाद हुईं लेकिन एक सिंगल पैसा उनको नहीं मिला। इससे विडम्बना की बात और क्या हो सकती है और सोचिये जिनके पास न रहने को घर है, न जोतने को जमीन बची वो कहा जायेगा। और दूसरा दुख सुनिये। गांव खड़खड़ी जटमल का ये नोटिस मैं लेके आया था। करीबन 16 किसानों को नोटिस भेजा गया है। उनसे एक–एक लाख रूपये वसूली की जा रही है और उनकी जमीनों को वापस छीना जा रहा है। ये खड़खड़ी जटमल का नोटिस है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। ये वहां के तहसीलदार द्वारा जारी हुआ। उन जमीनों को छीना जा रहा है। तार फेन्सिंग की जा रही है और सरकार, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि इसके उपर तो कम से कम तुरन्त दिशानिर्देश जारी हों कि उनसे ये जमीनें छिनी न जायें। खाली

खड़खड़ी जटमल में नहीं और कई सारे गांव हैं। झूलझूली है, शिकार पुर है, घुम्मनहेड़ा है क्योंकि मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर करीबन 34 गांव है। नजफगढ़ में कैलाश भाई के यहां पर 17 गांव हैं और इस पूरे क्षेत्र में 74(4) की जो जमीन एलाट हुई थी वो सबसे ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। खुद मेरे गांव घुम्मनहेड़ा में करीबन 550 एकड़ जमीन ग्राम सभा की थी जिसमें से सैकड़ों एकड़ जमीन 74(4) के लिए इस एक्ट में बहुत सारे किसानों को ये दिया गया। खड़खड़ी में तो ये तक हुआ कि फॉरेस्ट को भी वो जमीन दे दी गयी एसडीएम द्वारा। और इस कोर्ट में साफ–साफ इस नोटिस में लिखा है कि एक लाख रूपया आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो जब अपील में गये तो उनकी अपील खारिज कर दी गयी और उसके बाद उनको कहा गया कि आप इस जमीन को छोड़ दीजिए लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर थे। उस पर फसल उन्होंने उगायी और उनसे एक लाख रूपये वसूलने का एक आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किया गया। तो ये समस्याये उन किसानों के साथ हैं।

दूसरा इसके अन्दर लैण्डलेस लोगों के साथ–साथ हमारे कुछ फौजी भाईयों को भी ये जमीन मिली। हमारी कुछ विधवा बहनों को भी ये जमीन मिली थी लेकिन आज सब लोग इस चिन्ता में हैं कि हमारा होगा क्या। आपके बगल वाले खेत की कीमत साढ़े तीन करोड़ रूपये हैं लेकिन आपके खेत को कोई एक रूपया में भी नहीं पूछता है। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। किसान के लिए क्या होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस विषय पर गम्भीर हो और आज ये सदन के सभी सदस्य यहां पर बैंठें हैं। माननीय मंत्री जी ने ये संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और इस संकल्प को यहां पर पास कराके और इसको एलजी के पास

भेंजें और उनके माध्यम से केन्द्र सरकार इसके उपर संज्ञान लें। अक्सर भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं और इस सदन में क्योंकि 2002 में जब मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी तो कुछ सदस्य यहां पर भाजपा के भी थे। उस समय केन्द्र में सरकार किसकी थी और दिल्ली में किसकी थी। आप सभी बखूबी जानते है लेकिन हर बार इस मुद्दे पर राजनीति हुई हैं।

गांव बढूसराय का एक उदाहरण आपको देता हूं जिसके अन्दर दिल्ली की आखिरी चकबन्दी हुई। वर्ष 2014–15 के अन्दर बढूसराय गांव का लाल डोरा बढ़ाया गया जिसका बस्ता अभी तक बन्द भी नहीं हुआ है। उस गांव के अन्दर कई सारे किसानों की जो जमीनें, जो एलाटी थे वो लाल डोरे के अन्दर आ गयी और लाल डोरे के अन्दर आने के बाद नियम ये कहता है कि अगर आपका एक एकड़ जमीन लाल डोरे के अन्दर आया तो आपको दो एकड़ जमीन लाल डोरे के बाहर मिलनी चाहिए लेकिन जिस किसान की, जो अलाटी था 1970–80 के दशक में 74 (4) की इस जमीन का उस किसान को एक फूटी कौड़ी, एक इंच जमीन लाल डोरे के अन्दर आने के बावजूद उस किसान को नहीं मिली। अगर आपकी किसी की की जमीन जिसका आपका मालिकाना हक है अगर आपकी जमीन जनरल कटेगिरी की जमीन अगर लाल डोरे के अन्दर आती है तो अगर आपका एक एकड़ आती है तो आपको दो एकड़ गांव से दूर मिलेगा लेकिन उस किसान की जो एक एकड़ जमीन जो आयी, वो भी गयी और बाहर एक इंच जमीन तक नहीं मिली। ये वर्ष 2014–15 का जिन्दा उदाहरण है। बताइये उस किसान के उपर आत्महत्या करने के अलावा रास्ता क्या बचता है। ये हालत है इसलिए यह विषय सिर्फ एक चर्चा बनकर न रह जाये। इस विषय पर सरकार को, केन्द्र सरकार को, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर साहब को बहुत

गम्भीरता के साथ इस विषय को सोचना चाहिए। इसके उपर राजनीति पिछले 25–30 साल से होती आयी है। आपने सबने राजनीतिक रोटियॉ सेंक ली लेकिन एक बार उस गरीब के घर के चूल्हे की तरफ देखिये जिसका ना शायद घर में कोई आज कमाने वाला है और एकमात्र सहारा था जो एक एकड़ जमीन जो मिली थी, उसमें साल में बीस–तीस हजार रूपये कमा लेता था वो सहारा भी उनका छिनने जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से बस ये कहना चाहता हूं कि इस विषय को महज ठंडे बस्तें में न डालके और केन्द्र सरकार इसके बारे में सोचे और माननीय अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण जो यहां चुनकर आये है, उनसे भी कहूंगा कि आप गृह मंत्री जी से कहके, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर जी से कहके और इस काम को तुरन्त से तुरन्त करायें ताकि इस मुद्दे के उपर आने वाले समय में कोई राजनीति न कर सके और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने दिल्ली देहात के बारे में इतना सोचा और इतनी गम्भीरता के साथ आज यहां पर चर्चा करायी। उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और कैलाश भाई का बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना महत्वपूर्ण विषय चुना। बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो हमारे माननीय मंत्री जी जो रिजोलूशन लेकर आये आज अध्यक्ष जी हमें खुशी होती अगर हमें भी इसकी जानकारी पहले दे दी जाती तो। क्योंकि पक्ष के लोग तो घर से सारे कागज भी लेके आये हैं और देखिये कापियां भी लेके आये हैं और नोटिस भी लेके आये हैं क्योंकि उनको तो पहले जानकारी दी जाती है और हमें भी अगर इस हाउस की जानकारी दी जाये की आज रेजल्यूशन किस पर है। हम भी दिल्ली के लोगों की, गरीब जनता ने जैसे हमे भी

चुनकर भेजा है। हम उनकी बात कर सकें क्योंकि यहां जो हाउस बुलाया जाता है। बहुमत है, हाउस बुलाया जाता है। जब हाउस बुलाया ही नहीं जा रहा है और एक हाउस के 6–6 टुकड़े कर दिये जाते हैं अध्यक्ष जी। इससे हम जो दिल्ली की चिन्ता करने वाले लोग हैं, वो दिल्ली की चिन्ता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके तहत न तो 32 में न 33 के अन्दर न तो मंत्री से कोई जवाब पूछ पा रहे हैं, न अपने काम की कोई बात रख पा रहे हैं और अगर हम अपनी बात करते भी हैं 59 के तहत तो आप हमारी उसको रिजेक्ट कर देते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं रूल की बाद में बात करके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अच्छी बात इन्होंने 74(4) की चिन्ता की। यह भी चिन्ता की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को किसानों की बहुत चिन्ता है, इसलिए भी बहुत चर्चा हुई यहां पर। मैं याद करना चाहता हूं अपने भाईयों को जो लैण्ड पुलिंग बिल था उसका क्या हुआ। आप लोगों की आंखों में धूल झोकने के लिए आये हैं। अध्यक्ष जी, इसमें लोगों की आंखों में धूल झोकने के लिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गुलाब सिंह जी ऐसे नहीं। सिरसा जी एक सेकेण्ड। गुलाब सिंह जी मैं रोक रहा हूं। ये तरीका ठीक नहीं है। इसको कन्ट्रोल करिये। बैठिये प्लीज। देखिये सिरसा जी, हर विषय पर राजनीति में हम जायेंगे तो इसको सदन को एक सेकेण्ड रूकिये प्लीज।

हम एक ओर कहते हैं कि दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे हैं। दिल्ली की चिंता न करके हर विषय पर हम राजनीति में जायें। यह एक अच्छा विषय चल रहा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हम विपक्ष में हैं, मेरा फर्ज बनता है सरकार का काम है, सरकार की बात करना। विपक्ष का काम है,

जो काम नहीं कर पा रही है सरकार ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप इस मुद्दे पर आइये, जिस पर चर्चा हो रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं इसी पर तो आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां, इस पर बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलने देते तो बात ही खत्म हो जाती।

अध्यक्ष महोदयः आप बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुख्यमंत्री जी ने ढाई साल तक लैंड पुलिंग पास नहीं होने दी और मुझे याद है उन्होंने बयान क्या दिया था, बयान यह दिया था कि मैं गांव के लोगों से चर्चा करूंगा, ढाई साल तक उनको चर्चा का याद नहीं आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो लैंड पुलिंग पास कर दी और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता है। जब आपकी

...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंहः आपकी प्रोपर्टी फंसी पड़ी है इसलिए लैंड पूलिंग की बात करते हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इनको दो मिनट बोल लेने दो। गुलाब सिंह जी, आप बैठिये। सिरसा जी, अगर ये चीजें करेंगे तो चर्चा

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, क्या विपक्ष को अपनी बात करने का हक नहीं है?

अध्यक्ष महोदयः करिये, करिये, आपने जो बोलना है बोलिये। आप ठीक नहीं बोल रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगर करप्शन के अंदर मंत्री, करप्ट आदमी यहां बैठे हैं, उनको बाहर निकालो, उसमें भी आप कहते हैं कि हमें बात करने का हक नहीं है....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, यह दिक्कत आपके साथ है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मुझे किस बात की बात करनी है?

अध्यक्ष महोदयः इस पर बोलने के लिए बात हुई है और आपने प्वाइंट ऑफ आर्डर मांगा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं इसी पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने मुझे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर नहीं बोलने दिया। आप मुझे बोलने देते, मैं सवाल करता प्वाइंट आर्डर का। आपने मुझे नहीं बोलने दिया प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर।

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा कि आप लिख कर भेज दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं अपनी बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः आपने कहा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, इस पर बोलना है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, तो क्या मैं सरकार के खिलाफ

जो कमी है उसकी जानकारी नहीं दूं?

अध्यक्ष महोदयः इस पर बोलिये ना, मैं मना कब कर रहा हूं आप इस पर बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, 74(4) के अंदर आज जो सबसे बड़ी चिंता है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट रुक जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखिये, 74(4) में जिन लोगों की चिंता है, देखिये 74(4) में जो दो बड़ी खामियां इसमें रखी हैं जब...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, उस तरफ सरकार का ध्यान दिलाइये। बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बोलने दीजिए। देखिये, दो विषय हैं 74(4) की जमीन लैंडलैस लोगों को दी गई थी, जिन लोगों को जमीन आबंटित की गई, आज दिल्ली के अंदर क्योंकि डीएलआर एक्ट खत्म कर दिया गया और दिल्ली के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी आ गई। इसके चलते जो जमींदार 74(4) के हकदार बनते हैं, जो भूमिधर के रूप में आते हैं, अध्यक्ष जी, जब तक इसमें यह मेंशन नहीं किया जाएगा, जब उनके नाम गिरदावरी चढ़े, मालिकाना हक चढ़े तो वो लैंड पूलिंग की जमीन के लिए भी वो लोग कर सकते हैं जब तक हम इसमें चर्चा के तौर पर, लिखित तौर पर हम नहीं लेकर आएंगे, विधान सभा के अंदर पास नहीं करेंगे तो यह हक उनका दोबारा से मारा जाएगा। दो बार हक मरेगा। अध्यक्ष जी, जब लैंड पूलिंग की बात आएगी, जब 74(4) का एक जमींदार, एक गरीब आदमी उस लैंड पूलिंग में अपनी जमीन पूल करना चाहेगा उसको यह कहा जाएगा कि

आपको लैंडलैस ऑनर के तौर पर यह जमीन दी गई है, भूमिदार और काश्तकार के तौर पर आपको जमीन दी गई है, आपके नाम पर भूमिदार की फर्द है ना कि मालिकाना हक में आप उस लैंड पूलिंग में नहीं ले जा सकते। अध्यक्ष जी, इसमें यह क्लेरिटी न आने से, वो जमींदार वहीं का वहीं रह जाएगा। उस गरीब आदमी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि 90 परसेंट जमीन तो पहले ही लोगों से ले चुके हैं, उन गरीब लोगों से कुछ पैसे लिखा कर, पट्टे अपने नाम करा चुके हैं। आज उन लोगों के पास जो जमीन लैंड पूलिंग के नाम पर आनी है और जो हक मिलना है पैसे का, वो हक विधान सभा उनको दे नहीं रही। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि इसके अंदर स्पष्टीकरण किया जाये कि जो 74(4) का मालिकाना हक जिनको हम दे रहे हैं, उस मालिकाना हक के तहत वो लैंड पूलिंग में अपनी जमीन दे सकते हैं और उसके बदले में डीडीए उनको जमीन वापस देगी, यह इसके अंदर स्पष्ट तौर पर किया जाये, ताकि उनके मालिकाना हक के साथ–साथ उनको पैसे भी मिल सके, यह जानकारी दें।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात, आपने मेरे को, मैंने रूल 59 के तहत जो लगाया, आपने मेरा रिजेक्ट किया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं। मेरा क्या, मैंने रूल 59 के तहत लगाया। रूल यह कहता है अध्यक्ष जी, आपने आगे भी हमारा रूल 59 में एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जानकारी ली कि आपने एक्सेप्ट भी किया है और अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते तो आप इस पर वोटिंग करा लेते। हम दो ही वोटें हैं, आपको पता ही है। क्या विपक्ष के अंदर हमारी दो वोटें हैं, तीन वोटें हैं एक वोट को तो आपने परमानेंटली बाहर कर दिया तो क्या हम विपक्ष के रूप में अपनी बात भी नहीं रख सकते। हम करप्ट आदमी को ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे एक बात यह समझ नहीं आ रही। सिरसा जी, अब आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या सरकार अगर करप्शन करे, अगर मंत्री करप्शन, घोटाले करे....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, आप अध्यक्ष की रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप अध्यक्ष की रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम होते कौन हैं?

अध्यक्ष महोदयः आप रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं। आप बैठिये प्लीज। श्री महेन्द्र यादव जी। आप मेरी रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। श्री महेन्द्र यादव जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमारा राइट है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 74(4) पर आप आइये ना, जिसका विषय चल रहा है। उस विषय पर मैंने रूलिंग दे दी।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, जो मेरे को 74(4) पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, मैंने अध्यक्ष के नाते रूलिंग दी है और मैंने लीगल रूलिंग दी है और आप उस रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, 74(4) का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आज से चालीस साल पहले...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने रूलिंग दी है, जो इस किताब में लिखा है मैंने उसके अधीन दी है। अब आप बैठिये प्लीज।

श्री महेन्द्र यादवः आज से चालीस साल पहले उन गरीब लोगों को जमीन दी गई थी। उनके पास जमीन नहीं थी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम अपनी बात को नहीं रखेंगे

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जितना समय मैंने और विधायकों को दिया, उतना तीन को दे रहा हूं आप बैठिये। महेन्द्र यादव जी।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, मुझे 74(4) पर आज बोलने का मौका दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः xxxx[3]

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी जो कुछ बोल रहे हैं सब कार्यवाही से निकाल दो। जो कुछ बोले रहे हैं सब निकाल दो कार्यवाही से।

श्री महेन्द्र यादवः दिल्ली सरकार ने और हमारे कैलाश भाई ने जो

---

[3]xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये

प्रस्ताव रखा उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। 74(4) में ऐसे गरीब लोगों को जमीन दी गई थी जिसके पास जमीन नहीं थी। आज से चालीस साल पहले वो जमीन दी गई थी, उन गरीब लोगों को कि आप खेती कीजिए और अपने बच्चों का लालन–पालन कीजिए।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, यह तरीका ठीक नहीं है। आप मेरे पास आ जाइए। अब आप बैठ जाइए।

श्री महेन्द्र यादवः लेकिन चालीस साल होने के बाद भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला। आज जो प्रस्ताव पेश किया गया, हम सब उसके पक्ष में हैं और उन गरीबों को मालिकाना हक मिलना चाहिए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं। आप बैठ जाइए। 74(4) में आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। मैंने पूरा मौका दिया है। 74(4) में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप बैठिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम दो लोग हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। यह सदन का कसूर तो नहीं है कि दो हैं आप। आप बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जितना आपको समय दिया है अगर टाइम को बांटा जाये तो आपको जितना समय मिला है, आप बैठ जाइए। अब उनको बोलने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः xxxx[4]

अध्यक्ष महोदयः ये सारी चीजें सिरसा जी जो बोल रहे हैं, कार्यवाही से निकाल दें। जो कुछ बोल रहे हैं निकाल दें कार्यवाही से। महेंद्र जी, आप बोलिये।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, इनको चुप तो कराइये।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं और last time I am requesting to you मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं बार–बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आप बेमतलब बोले जा रहे हैं। आप बैठिये। महेन्द्र यादव जी, बोलिये। सिरसा जी, यह तो सदन को चलने देने का तरीका नहीं है। महेन्द्र यादव जी, आप कंटीन्यू करिये। छोड़ दीजिए, आप कंटीन्यू करिये। वो जितनी देर बोलेंगे, एक सेकेंड, सोमनाथ जी, महेन्द्र यादव जी बोल रहे हैं।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो 74(4) पर बोलने का हमें मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड, सोमनाथ जी, बैठ जाइए आप प्लीज। दो मिनट बैठ जाइए आप। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, वो यह चाह रहे हैं कि मैं मार्शल का इस्तेमाल करके उनको बाहर करूं और मैं करने वाला नहीं हूं। मीडिया के पास जाएं वो, बोलने दीजिए उनको। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। आप बोलने दीजिए उनको। चलिये महेन्द्र यादव जी, आप कंटीन्यू करिये।

श्री महेन्द्र यादवः उन गरीब लोगों को जमीन दी गई थी।

---

[4]xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

अध्यक्ष महोदयः चलिए महेन्द्र यादव जी आप कंटीन्यू करिए।

श्री महेन्द्र यादवः उन गरीब लोगों को जमीन दी गई थी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो ये चाह रहे हैं मैं जाऊं बाहर और आप समझ नहीं रहे हैं उस बात को।

श्री महेन्द्र यादवः उनके पास जमीन नहीं थी। उनको खेती–बाड़ी करने के लिए जमीन दी गई थी लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज तक 40 साल के बाद भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला और जिससे कि उनके जो गरीब बच्चे, जो परिवार गरीब परिवार थे, वो उस जमीन के ऊपर केवल अपनी खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं न अपनी जमीन को बेच पा रहा है न अपनी जमीन को वो अपने परिवार के हिस्सों में बांट पाता है, इसलिए उसको काफी बड़ी परेशानी है, तो आज कैलाश भाई जो प्रस्ताव लेकर आए, दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में आपसे ये निवेदन करते हैं कि उस प्रस्ताव को पास करके उन गरीब लोगों को हक दिया जाए और जिससे कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें अच्छी तरह से, अपने परिवार का जो भी हिस्सा है, उसको कर सकें। एक दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, किसान के बारे में सोचा है और उन जमीन को उसका हक दिलाने के लिए आज प्रस्ताव पेश किया है। मैं सदन के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि ग्रामसभा की जो जमीन है, उसको गांव के कुछ लोग घेर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो जमीन को ग्रामसभा की जमीन पर जो भी एसडीएम और पटवारी मिलकर जो कब्जा

करवाते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और वो कब्जे में अपनी जमीन ली जाए दिल्ली सरकार के कब्जे में जमीन ली जाए।

अध्यक्ष महोदयः यादव जी, कंटीन्यू रखिए आप।

श्री महेन्द्र यादवः दिल्ली में बहुत सी विधानसभाओं में अभी भी जो नई कालोनियां कट रही हैं, नई कालोनियां काटना बंद है लेकिन उसके बाद भी नई कालोनियां कट रही हैं, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाएँ जिससे कि नई कालोनियां न कटें उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिससे कि आपको आने वाले समय में हमें दिक्कत न हो और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप चालू रखिये आप मत रूकिए, चालू रखिये।

श्री महेन्द्र यादवः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः जगदीश प्रधान जी। अरे अब बैठ गए आप तो, आप तो जल्दी बैठ गए, बोलते रहिए, बोलते रहिए आप।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो कह रहा हूं....

अध्यक्ष महोदयः उनको बोलने दीजिए ये आप गलत कर रहे हैं, मैं वार्निंग दे रहा हूं ये गलत कर रहे हैं। जगदीश प्रधान जी बोलिए आप।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः आपने नाम लिखके भेजा न मेरे पास आप बोल गए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो आपने भी मुझे बोलने का...

अध्यक्ष महोदयः अब जगदीश प्रधान जी बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आपने मुझे कहा, आपने मुझे बोलने को कहा...

अध्यक्ष महोदयः जगदीश प्रधान जी बोलिए आप। आपने खुद कहा मैं बोलता रहूंगा, आप क्यों बैठ रहे हैं। बोलिए आप जगदीश प्रधान जी। जगदीश जी आप बोलिए प्लीज। ये माइक बंद करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने खुद ही कहा....

अध्यक्ष महोदयः क्या तरीका है सिरसा जी

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो फिर आप कहिए अगर आप अपने मेम्बरों का मजाक उड़ाएंगे, स्पीकर साहब अपने मेम्बरों का मजाक उड़ाएंगे उनके बोलने नहीं देंगे....

अध्यक्ष महोदयः ये आपने अपनी हैंडराईटिंग में लिखकर भेजा है मेरे पास इनका नाम आप अपने सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं, आपने खुद लिखकर भेजा है ये नाम, छोड़िये बैठिए आप। प्रधान जी, बोलिए आप। भाई नितिन जी प्लीज, वाजपेयी जी प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने जो 20 पाइंट प्रोग्राम के अंदर 1974, 1976 और 1983 से 87 के बीच में वीकर सेक्शन और भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित की गई थी, उसमें कुछ रिहाइशी प्लाट और कुछ जो गरीब लोग थे, हरिजन भाई या मजदूर या जिनके पास जमीनें नहीं थी गांव के अंदर, उनको एक–एक एकड़ जमीन दी गई थी, तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी 1983 से और 1989 के बीच गांव का

प्रधान रहा था। मेरे गांव में भी वीकर सेक्शन और भूमिहीनों को जमीन दी गई थी और बाकी दिल्ली के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है। 1987 के अंदर महरौली तहसील में एक मांडी गांव है, उसमें करीब 70–75 लोगों को इसी तरह की जमीन 20 पाइंट प्रोग्राम में दी गई थी और उस समय उनमें से 60 या 65 लोग 74(4) के अंदर भूमिधर बन गए। उन्होंने अपनी उस जमीन को किसी बिल्डर को बेच दी। दिल्ली में रजिस्ट्रियां बंद थी उस समय के 74(4) की जमीन की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। जिस बिल्डर ने वो जमीन खरीदी बॉम्बे जाकर उन किसानों की रजिस्ट्री कराई गई, ओने–पोने दामों में वो जमीनें खरीदी गई और उस बिल्डर ने उस जमीन के अंदर फार्म हाउस बनाकर लोगों को आगे बेच दिया। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि 1980 और 90 के बीच में काफी जमीन ये जो कब्जेदार थे, कास्तकार जो थे वो 74(4) के अंदर भूमिधर बनाए गए थे और बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एसडीएम के यहां भूमिधर बनने के लिए अपने दावे पेश नहीं किए तो मैं भी चाहता हूं कि जो लोग भूमिधर बनने से वंचित रह गए हैं, अभी जो मंत्री जी प्रस्ताव आज लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसमें कुछ जमीनें ऐसी भी हैं 8 जो लीज आफ जमीन खेती के लिए दी गई थी कई जगह उनमें कालोनी भी कट गई हैं, लोगों ने प्लाट काट–काटकर बेच दिए हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई ये हंसने का विषय नहीं है प्लीज। हम सब मानव हैं, इंसान हैं। कोई हंसने का विषय नहीं है ये।

श्री जगदीश प्रधानः तो अध्यक्ष जी, दिल्ली में बहुत सारी जमीन है, एक तो जो गरीब आदमी है जिनको जमीन दी गई है इसका कोई आप ऐसा कानून पास कराएं एसडीएम को डीसी को मुख्यमंत्री जी आदेश करें के जो लोग भूमिधर बनने के बगैर रह गए हैं उनको भूमिधर बनाया जाए

जिससे उनको उस चीज का लाभ मिल सके और जो प्लाट हैं 80 गज के 120 गज के जो दिए गए थे, उनमें भी लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है, उनको भी मालिकाना हक दिया जाए धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः बहुत सुन्दर, महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज विषय उठ रहा है कि जो 74(4) की जमीन का और बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जमीनों का जो अलाटमेंट हुआ था, उन लोगों को हक मिले। ये जमीनें 1954 नियम भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जमीन दी गई थी जैसे कि सदन में मेरे सभी साथियों ने अभी तक कहा कि गरीब आदमियों को दी गई, एससी/एसटी को दी गई, मैं कहता हूं कि ये जो जमीनें दी गई थी मेहनतकश इंसानों को दी गई थी, कामगर इंसानों को दी गई थी और जो बिगड़े हुए काम को संवारते थे, उन लोगों को ये जमीन की अलाटमेंट की गई थी। जिस हिसाब से दिल्ली की किस्मत को पलटने का काम ये छठी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने किया है। ये ठीक उसी नियम 1954 के तहत ये कार्य किया गया था, उन्हीं लोगों को वो जमीनें दी गई थी। जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर पानी के बिल माफ किए गए, बिजली के बिल आधे किए गए, हॉस्पिटलों के अंदर दवाई दी गई और दिल्ली के अंदर बसों की सर्विस को बढ़ाने का काम किया। ठीक उसी तहत ये जमीनों को सुधारने का काम भी उन्हीं मेहनतकश इंसानों को दिया गया है। उसी के तहत जब एक जमीन को संवारने का काम उन लोगों ने किया तो उनका हक भी उनको मिलना चाहिए। मदन लाल जी ने और गुलाब भाई ने बड़े अच्छे से कहा और जगदीश प्रधान जी ने भी बखूबी उस जमीन के बारे में बताया मैं इनका समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री साहब का भी आज धन्यवाद करता हूं कि स्पेशल सेशल बुलाना

कोई छोटी बात नहीं होती। यदि किसी गरीब के बारे में सही तौर पर सोचा गया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष पीछे कहते थे जब देखता हूं स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। अरे इंसानों के बारे में सोचते हैं और उनके हक की बात करते हैं तो स्पेशल सेशन एक बार नहीं 365 बार भी बुलाना पड़ेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी। ठहरिये महेन्द्र जी 74 (4) पर बात कीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः 74 (4) की ही बात कर रहा हूं। एक लाईन भी 74 (4) से बाहर नहीं है। आप उठा के देख लें।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः हां सर। अच्छा सुनिये। सुनिये सिरसा साहब। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सिरसा साहब का भी धन्यवाद कर रहा हूं आज।

अध्यक्ष महोदयः आज कंटीन्यू रखिये आप। आप कंटीन्यू रखिये बात को। महेन्द्र जी कंटीन्यू रखिये।

श्री महेन्द्र गोयलः सिरसा साहब।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी आप समझिए। आपने

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं आपको। अभी देखते तो रहो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र गोयल जी, आप कंटीन्यू रखिये अपनी बात।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः यह तो महत्वपूर्ण विषय है और एक एक शब्द रिकार्ड होना चाहिए आज। इस सदन के माध्यम से...

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, देखिये मैं आग्रह कर रहा हूं। विषय से इधर उधर मत जाइए।

श्री महेन्द्र गोयलः बिल्कुल। विषय के ऊपर ही हूं।

अध्यक्ष महोदयः यह गंभीर विषय है, इसको हम डायवर्ट न करें प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः यह बात बिल्कुल विषय के ऊपर हो और मैं आपके माध्यम से सिरसा साहब का भी एक बार धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः अरे भाई आप बोलिये। आप क्यों?

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये बात उनको समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों उलझ रहे हैं बार–बार महेन्द्र जी। आप जान बूझ कर उलझ रहे हैं।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं विषय से नहीं भटक रहा। मैं इस सदन की बात कर रहा हूं। आज जो कार्यवाही हुई थी। जो साथी यहां से किसी आदमी को जो दो आदमी को उकसाया।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी आप बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयलः इनका धन्यवाद कर रहा हूं कि इन्होंने एक साथी को कम से कम।

अध्यक्ष महोदयः ये शब्द कहां।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः बिल्कुल विषय पर है। एक लाईन कोई विषय से बाहर बोली और आप भी कहेंगे। मैं उन लोगों की तरफ से कहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं उन लोगों की तरफ से कहता हूं। वर्षों से, वर्षों से बुनियाद में जो सीलन है, यही कारण है। मेरे मित्र है, मेरे सदन के दोस्त है और मैं दबी जुबान की वैसे भी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र गोयल जी, अब आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं।

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः ये शब्द पूरा करने दो आप। वर्षों से, वर्षों से बुनियाद में जो सीलन है, यही कारण है आज दीवारों के अंदर धड़कन है, क्योंकि जो लोग आज तक अपने हक के लिए जूझते रहे, उनको हक नहीं मिला, उन लोगों की तरफ से कह रहा हूं मैं :–

वर्षों से बुनियाद में जो सीलन है,
यही कारण है आज दीवारों में धड़कन है,
समाज व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में,

जो अनबन है, यही कारण है,
आज कहीं पर तनाव, तो कहीं पर क्रन्दन है।

आज कहीं पर भी देख लो आज। जहां पर 74 (4) के जमीन जिन्होंने उस जमीन को संवारा, उनको हक नहीं मिला। लैंड पूलिंग के तहत आज जमीन यदि कहीं पर किसी एक जमीनदार की है, उसका एक एकड़ जमीन तीन से चार करोड़ रू0 का है और जो 74 (4) की जमीन है, वो 20 लाख में 25 लाख में उड़ती हुई फिर रही है। चाहे आप कितने भी। यह बात हुई लोगों की तरफ से कह रहा हूं।

समाज व्यवस्था में जो अनबन है,
यही कारण है, आज कहीं तनाव है तो कहीं क्रन्दन है,
उन लोगों की कह रहा हूं,
मेरा हक मुझको दे दो, मेरा हक मुझको दे दो,
यही मेरी विनती और यही मेरी गुजारिश है,
यही मेरी विनती और यही मेरी गुजारिश है।

मैं कैलाश भाई का धन्यवाद करना चाहंगा कि आज इस संकल्प पत्र को आप लेकर आए, तो इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, बोलने के लिए और सिरसा जी को भी हिदायत भी देता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं। जब तक मैं बोलू आप सीट पर बैठे रहेंगे क्योंकि हम ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री का, उप–मंख्यमंत्री का और अपने मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मुद्दे पर स्पेशल सेशन बुलाया था। ये चर्चा पिछले दो साल से चल रही है। सिरसा जी, शायद आप सदन में नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री ने एक हमारी कमेटी बनाई थी, जिसमें हम गांव के पांच–सात विधायक थे और हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ कई मीटिंगे की 74(4) पे, जिसके लिए आप ये कह रहे हो न कि आज ये एकदम सेशन क्यों बुलाया। इसके लिए हमारी सरकार दो साल से काम कर रही थी, लेकिन ये अब लैंड पूलिंग का जो सिस्टम आपने अभी बताया। मैं...

...(व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलालः नहीं नहीं मैं लैंड पूलिंग की बात कर रहा हूं। दोनों ने कहा था कि ये मुद्दा...

अध्यक्ष महोदयः आप 74(4) पर रहिए न।

श्री सुखवीर सिंह दलालः 74(4) पर ही आया हूं सर मैं। 74(4) का ही मतलब है, लैंड पूलिंग लागू होगा तो इन लोगों को हक मिलेगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं मिलेगा।

श्री सुखवीर सिंह दलालः मिलेगा। अगर हम इसको लागू करेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसको लागू नहीं कर पायेंगे।

श्री सुखवीर सिंह दलालः ये लागू होगा, मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी। मैं आपको बता रहा हूं। शायद मेरे कई भाइयों को 74(4) का पता भी न हो क्योंकि जो शहर में रहता है, हो सकता है, उनको न भी पता हो और मैं बताता हूं 74(4) एक छोटा सा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा था और उस सरकार को भी धन्यवाद करता हूं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत, जिन्होंने गांव वालों को लैंड रिफॉर्म एक्ट के अनुसार एक प्वाइंट के प्रोग्राम के साथ 1970 और 80 के दशक में 6800 परिवारों को कृषि भूमि योग्य जमीन दी थी और रेजीडेंसियल के लिए तो बहुत सारे प्लॉट हैं, जिनके अभी चर्चा में आगे अपने उसमें करूंगा, वो भी आज मालिकाना हक से बहुत दूर–दूर है। मैं अध्यक्ष जी बताना चाह रहा हूं 74(4) का मतलब है गांव की जो कृषि बंजर भूमि की, जिसको कोई भी नहीं पूछता था, वो अभी गोयल साहब ने सही बताया कि मेहनतकश लोगों को दी गयी थी, जिनको हम लैंड लेस कह लें, एस.सी./एस.टी. कह लें, बाल्मीकि कह लें, उस समाज को जमीन दी थी और आज उस जमीन की कीमत जो उस टाईम का मुझे पता है 10 रू0 भी नहीं होती थी, आज करोड़ों की कीमत है। सिर्फ उन मेहनतकश मजदूरों की, उस किसानों की, किसान कहता हूं, जो किसान केयर करता है, उसमें आज जमीन की कीमत दिल्ली में इतनी बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमें स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा और मैं एक चीज के तौर पर यह कहना चाह रहा हूं। मेरी जानकारी के अनुसार 1970 और 80 तक 6800 एकड़ जमीन इन किसानों को दी गयी थी और वो उनको 5 साल के लिए दी गयी थी और इस जमीन का हक ग्राम सभा को ही होता है। किसी भी और कानून में कहीं नहीं लिखा कि ग्राम सभा इसको अलॉट करती है, जिसको आसामी बनाती है और उसी के तहत इन लोगों को आसामी बना गया और पांच साल के तहत इसके

कानून है कि ग्राम पंचायत स्वयं ही जो आज कल एस.डी.एम. के नाम देते हैं, पहले उनका आर.ए. के नाम से था। रेवेन्यु असिस्टटेंड के नाम पर। उसको वह बतायेंगे कि भई इस किसान ने अपनी भूमि कृषि योग्य बना ली है या नहीं बनाई है। फिर एस.डी.एम. साहब जो आज कल रेवेन्यू के वो होते हैं, वो अपने माध्यम से अपने रिकार्ड से ये तहकीकात करने जाता है कि वास्तव में यह जमीन कृषि योग्य बन गयी है या नहीं बनी। अगर जिस किसान से वह नहीं बनाई गयी, तो उसको दो साल की और वो लीज पर दे देते हैं कि आगे उसको बढ़ायें। लेकिन कहीं भी कोई कानून ऐसा नहीं है, अगर–मगर करने के लिए। अगर उस किसान ने उस जमीन को कृषि योग्य बना लिया है, तो उसको मालिकाना हक अटोमेटिक मिल जायेगी क्योंकि आज तक के इतिहास में पूरी दिल्ली में कोई भी ग्राम सभा किसी भी किसान के उसमें नहीं कही गयी है कि इसमें नहीं बनाया गया है। उसके तहत मैं एक छोटा सा कानून बताता हूं 79। उसके अंदर बिल्कुल मौजूदा लिखा हुआ है अगर कोई ग्राम सभा किसी के खिलाफ नहीं जाती तो वो उसका मालिकाना खुद–ब–खुद बन जायेगी। वो दिल्ली एक्ट का दिल्ली डी.एल.आर.सी.79 बोलता है। उसी के तहत मैं आपको बताऊं ये तो दिल्ली का दुर्भाग्य है ग्राम पंचायत को 25.01.90 को नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली पंचायतों को भंग कर दिया गया, जिसके तहत सारी ग्राम पंचायत की पावरें डी.एम. को दे दी गयी और वो डी.एम., आज तक भी किसी एक डी.एम. ने भी किसी भी किसान को भूमिदार नहीं बनाया। उससे पहले 1990 से पहले जितने भी अलॉट किये गये थे 50 परसेंट लोग जो है, वो उसके मालिकाना हक आ चुके थे। मैं आज की सरकार से और पहले की सरकारों से भी दरखास्त करूंगा कि ऐसा क्या कानून अड़ गया जो कि 50 परसेंट लोगों को तो बढ़ा दिया गया और वो 50 परसेंट वंचित आज क्यों हैं, ये किस चीज के लिये मैं यही चीज कह रहा हूं दिल्ली में कोई कानून नहीं

क्योंकि ये जो हमारा 74(4) है दिल्ली का लैण्ड रिफॉर्म एक्ट, ये अपने आप में एक्ट है इसी को बदलने के लिये किसी को भी पावर नहीं हे सिर्फ पार्लियामेंट को या कानून बना के हम बदल सकतें हैं लेकिन कानून एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हम कैबिनेट नोट भी किसी सरकार ने पेश किया, वो मैंने देखा। उसमें दो तीन खामियां थी जो एलजी ने भी लौटा दिया एलजी को पावर नहीं होती 74(4) के एक्ट में खुद ही लिखा होता है अगर आपने किसी आसामी को पांच साल तक बना दिया है और उसकी कोई नैगिटिव रिपोर्ट नहीं है तो वो किसान आटोमैटिक उसका हकदार हो जायेगा। अभी मदनलाल जी ने जो बताया 85 के अंदर ये ग्रामसभा की लैंड नहीं प्राईवेट लैंड को भी अगर कोई किसान तीन साल तक दूसरे की जमीन को वो जोत कर लेता है और उसके पास छह गिरदावरी चढ जाती है तो वो किसान उसके हक को बनाने के लिये भूमिदार का राईट बन जाता है उसका इन लोगों ने तो 40 चालीस साल हो गये सन 70 में इनको अलॉट की गई थी और आज भी उस पर काबिज बैठे हैं लेकिन जिनको भूमिदार बनाने के लिये गवर्नमेंट सरकारी अफसर कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया 90 के बाद में जिसकी वजह से आज हमें स्पैशल सैशन बुलाना पडा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहली बात तो मैं छोटी सी सभी से पूछ के एक बात पूछना चाहता हूं क्या इस विधानसभा के सैशन में सभी विधायकों को मैंने बिजनस रूल में पढा है कि एक विधायक चीफ सैक्रेट्री के बराबर होता है ये ठीक है या गलत है ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं विधायक एक चीफ सैक्रेट्री के बराबर है या नहीं है?

अध्यक्ष महोदयः ऊपर है, उससे ऊपर है।

श्री सुखबीर सिंह दलालः उसके बराबर ही मैंने पढा है।

अध्यक्ष महोदयः हां चलिये।

श्री सुखवीर सिंह दलालः लेकिन दुर्भाग्य से आप से कहना पड़ रहा है, हमारी दिल्ली सरकार के चीफ सैक्रेट्री, शायद मैं दो घंटे से देख रहा था, मुझे यहां इतना बड़ा सैशन चलते हुए इसका मैटर इतना बड़ा है, रेवेन्यू से भी संबंधित है, वो यहां मौजूद न दिखाई दें, ये बड़ा अफसोस सा हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री सुखबीर सिंह दलालः इसलिये आगे आपसे वो किया जाता है ऐसे मैटर पर चीफ सैक्रेट्री तो कम से कम यहां मौजूद होना चाहिये विधानसभा का सैशन है, कोई मजाक नहीं है ये।

अध्यक्ष महोदयः नहीं बिल्कुल ठीक है ये चलिये।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये अधिकारी गैलरी है जब हमारा सैशन शुरू हुआ तो यहां पर दो अधिकारी बैठे थे, ये हम पहली बार देख रहे हैं मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि रेवेन्यू सैक्रेट्री भी यहां बैठे हैं, नहीं बैठे, क्या विजिलेंस आपके साथ हैं, इस बात के लिये मुख्यमंत्री चाहे हमारे विरोधी पक्ष के हों।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः लेकिन अफसरों की ये बेलगामी होना कि मुख्यमंत्री की कमान से बाहर जायें ये...

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, अब अच्छा नहीं लग रहा।

श्री सुखबीर सिंह दलालः चाहे मेरी हिदायत में हो, मैं आपसे सहमत हूँ। पहले मैंने आपको ये कहा था मैं जब तक बोलूं तब तक आप बैठे रहना। मुझे पता है कि आप बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदयः चलिये।

श्री सुखबीर सिंह दलालः ये मुझे भी पता है लेकिन डिस्टर्ब न कीजिये। आपको जो बात मैं मानता हूं आपको कद्र करता हूं और आगे के लिये मेरी जानकारी के अनुसार मुझे जहां तक डीएलआर एक्ट है, ये एक प्रिसीपल एक्ट है ये संविधान की सूची नौ में रखा गया है और जो भी एक्ट संविधान के शैडयूल में रखा जाता है उसको संविधान के 31 (ए) के तहत प्रोटैक्शन होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता चाहे कोई भी हो। एलजी साहब ने जो आर्डर किये हुए हैं 31 मार्च, 2012 को, अगस्त 2012 को उस पर गुजारिश मैं सारे सदन के साथ करता हूं, उसको वापिस लिया जाये और अपने डिसीजन को जो कैबिनेट ने किया था, उस सरकार की भी नीयत अच्छी थी जो चाहती थी जमीनों को भूमिधर हक मिले लेकिन एलजी साहब ने होम मिनिस्टर को लैटर लिखा हुआ है, वो मेरे पास है। उसकी मैं लास्ट लाईन पढ़ के सुना सकता हूं बाकी सारा है। I accordingly refer this matter to the president for a decision I have further pass order that no follow up action should be taken on the decision number 1891, cabinet of govt. of NCT receipt of the decision on the subject. ये जो उन्होंने सिर्फ टाल मटोल करने के लिये वहां भेजा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दिल्ली एक्ट हमारा खुद ही बोलता है, उसमें भूमिदार हक उसको यहीं मिल जायेगा और किसी भी उसकी जरूरत एलजी की लेने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने वहां भेजा हुआ है और मैं अपनी सरकार से भी गुजारिश करूंगा, सभी विधायकों को रिक्वैस्ट करूंगा सभी हम एलजी

के पास जायेगें या तो हम इसको कैबिनेट नोट पास कर रहे हैं, उसको पास किया जाये क्योंकि दिल्ली की जनता जो गरीब जनता है, वो त्राहि त्राहि हो रही है मैं हर रोज ये देखता हूं, मेरे पास दस आदमी आते हैं, कल रात कोई किसी को पता लग गया, उस आदमी का मैं नाम भी बताना चाहता हूं जौन्ती गांव से रणधीर सिंह था दस आदमियों को ले के रात के बारह बजे मेरे दरवाजा खटखटाया कहता है विधायक जी, विधायक जी, मैंने कहा रात को कौन आ गया उसने मेरे को बताया कि सर तुम्हारी सरकार कल एक स्पैशल वो कर रही है, उसके लिये पहले तो मेरे को धन्यवाद दिया और फिर उसने मेरे को कई बातें बताईं रणधीर सिंह ने इतनी मोटी फाईल लिये हुए था जो बीस साल से घूम रहा है सरकार के दर दर के लिये तब उन्होंने बताया कि हम अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स को जिसने पहले किसानों के लिये मुआवजा दिया और अब हमारे लिये भी सुनवाई की है, पहले तो उसने रात के 12 बजे करीब मेरे को धन्यवाद दिया। मैं बडा खुश हुआ अरे यार। लोगों में अभी से जागरूकता है। उसने मेरे को बहुत सारी चीज बताई इसलिये...

अध्यक्ष महोदयः चलिये कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री सुखबीर सिंह दलालः तो अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सदन खत्म होने के बाद हम सभी उपराज्यपाल महोदय के पास जाएंगे और गुजारिश करेंगे कि इसको लैंड पुर्लिग होने से पहले पहले भूमिदार का हक उनको दिया जाये जिससे वो लोग इसका फायदा ले सकें। इसी के साथ धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः आज सुखवीर सिंह दलाल जी जब बाल रहे थे, मुझे लग रहा था कि विधायक नहीं किसान बोल रहा है।

श्री सुखबीर सिंह दलालः मैं बहुत बहुत तैयारी करके आया बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अच्छी तैयारी करके आये हैं। अजेश यादवजी

श्री अजेश यादवजीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 74(4) जैसे विषय पर स्पैशल सैशन बुलाया लेकिन इस में मेरा थोडा हट के है जो जितने भी विचार अब से पहले गांव के प्रधान रहे या नेता रहे हर गांव में 74(4) की सारी जमीन लगभग 50 परसेंट आज उनके नाम चढी हुई है और वो मालिक बन चुके हैं जिसके सबूत हैं मेरे पास, वो जब चुनाव लड़ते हैं एफिडेविट में अपनी प्रापर्टी दिखाते हैं वो, तो मेरी आपसे विनती है दिल्ली सरकार से के जो लोग इस तरह से भूमिदर बने हैं, मालिक बन गये हैं, उनकी जरूर इन्क्वायरी की जाये क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को इससे फायदा होगा वो कोर्ट में केस भी जीत चुके हैं फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वैस्ट है इसकी इन्क्वायरी की जाये और 74(4) पर जमींदार लोग ही जो काबिज हो गये हैं, बिजनैस मैन काबिज हो गये हैं, तो ये मेरे पास सबूत हैं, इसकी इन्क्वायरी कराई जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद अजेश जी। नारायण दत्त शर्मा जी। अजेश, ऋतुराज गोविंद जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया वैसे तो मेरी विधानसभा में 20 छोटे छोटे गांव हैं जिसमें जमीनें कम हैं लेकिन दिल्ली देहात की इस बहुत बडी समस्या से मैं अच्छी तरह से अवगत हूं बहुत सारे लोग मुझे भी मिले थे जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया, अपने

दर्द को बताया। ये कहानी है उन गरीब लोगों की जिसको सोशो इकोनोमिक इम्पावरमेंट के उददेश्य से जिस जमीन को दिया गया था, आज से 43 साल पहले सवा सौ गज रहने के लिये और एक एकड़ जमीन की खेती करने के लिये जो कि बिल्कुल बंजर जमीन थी। 43 साल से जो किसान खून पसीने की मेहनत से उसको खेती के लायक बनाया, उन सभी लोगों के साथ आज ज्यादती हो रही है, विशेष तौर पर गरीब लोग हैं वो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं जिसके बारे में ज्यादा टैक्नीकैलटीस में मैं नहीं जाउंगा क्योंकि टैक्नीकैल्टीज की बात बहुत सारे साथी ओलरेडी कर चुके हैं। मदनलाल जी कर चुके हैं, सुखबीर दलाल जी कर चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा संघर्ष है और जिस लडाई को वो लड़ रहे हैं, लिटरली एसडीएम तहसीलदार डीएम उनके आफिस के वो लगातार चक्कर काट रहे हैं वकील कर रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं और वो आज भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं, कुछ एक्पैशनल्स हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके की परेशानियां गरीब लोग झेल रहे हैं, इन सब को वक्त आ गया है कि इनकी मदद की जाये और सही मायने में देखा जाये तो आज तक इन लोगों को पॉलिटीकली तो बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है लेकिन विश्वास पहली बार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर क्योंकि 43 साल से जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, इन सबको पूरा भरोसा है कि जैसा कि अरविंद जी ने आज तक कहा है, हमेशा किया है और हम सब लोगों ने देखा कि अरविंद जी ने इन सब लोगों को जब फसलें खराब हो गई थीं तो पचास हजार रूपये हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देकर के हिंदुस्तान में आज तक कभी भी किसी राज्य में इस तरह का मुआवजा नहीं दिया गया था और आज पूरा दिल्ली देहात का जो किसान है खास कर के जो 74(4) के केस में फंसे हुए लोग हैं, वो सब लोग एक बहुत उम्मीद के साथ इस विधानसभा के

सैशन को देख रहे हैं और हम सब आप लोगों से एक ही अनुरोध करेगें ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि हम सब को एक मत होकर के इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं जो कैलाश गहलोत जी ने आज रखा है और उम्मीद करते हैं कि माननीय एलजी साहब इस के बीच में आने वाले सभी ऑब्सटेकल्स को दूर करेगें। माननीय एलजी साहब भी हमारी बात को सुन रहे होगें और आज मैं उस बात का समर्थन करता हूं जो सुखबीर दलाल जी ने कहा कि हम सब को माननीय एलजी साहब के पास जाना चाहिये और ये जो हजारों किसान हैं, जो 43 साल के संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार के लिये, अपने हक के लिये, इसके लिये हम सब को एक साथ होकर के उनका साथ देना चाहिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी, माननीय मंत्री जी।

जल मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आज भी याद है 1968 में दिल्ली के घोंडा गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं मुश्किल से दस साल का रहा हूंगा तब बहुत सारे लोगों ने जिनको ये पट्टे पर जमीन मिली थी। दो तरह की जमीन मिली। कुछ लोगों को खेती की जमीन मिली एक–एक एकड़ और कुछ लोगों को 120 गज के प्लाट मिले लेकिन तब से निरंतर मैं देख रहा हूं जो लोग उस वक्त कोर्ट में चक्कर काट रहे थे, जब हम छोटे–छोटे से थे, जानता इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि मेरे भी कई साथी जो मेरे कलीग मेरे साथ पढ़ते थे, उनके दादा उस वक्त कोर्ट जाया करते थे। हम पूछते थे कहां जाते है? वो बताते थे कोर्ट गए हैं, किसलिए गए हैं कि भई वो जो खेती की जमीन मिली थी, अभी भी हमारे नाम पर चढ़ी नहीं है। खेती तो कर रहे है कई सालों से और देखते ही देखते हुआ क्या कि उनके दादा की डेथ हो गई। उसके बाद पिताजी

बूढ़े हो गए और अभी पीछे जब हम चुनकर आए और डिस्ट्रिक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बने तो मेरा दफ्तर बाईचांस वहीं पर था तो उनके पोते वो कोट आते थे और बीच–बीच में मेरे ऑफिस आ जाते थे। मैं उनसे पूछता था यार, पहले तुम्हारे दादाजी कोर्ट जाते रहते थे, फिर तुम्हारे पिताजी और आज आप भी जा रहे हो। कुछ रिजल्ट आया तो वो यही कहते थे कि एसडीएम के यहां जाते हैं, डेट मिल जाती है। मैंने कहा कितनी शर्मनाक स्थिति है! पहली चीज तो ये है कि जब कानून पहले से है, कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसको तो एन्फोर्स करने की जरूरत थी। इसमें दोष तो उन अधिकारियों का ज्यादा लगता है जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन 'आसामियों' को उस पे जमीन पे उनका गिरदावर पर उनका नाम चढ़ा दें। उनको 'भूमिधर' डिक्लेयर कर दे और कानून अपने आप ही उनको उसका मालिक बना देता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि दिल्ली में हजारों लोगों को इस तरह की खेती की जमीन मिली और मेरे ख्याल से लाखों को शायद 120 गज के या 100 गज के, 80 गज तक के भी मिले कुछ को प्लाट मिले। वो लोग आज तक भी धक्के खा रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे साथी इस पर लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एलैबोरेट कर चुके हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अभी पीछे मुझे पता लगा कि आज भी उस तरह की जमीनें जो मार्केट में जिसकी कीमत दो से तीन करोड़ के बीच है वो अभी भी बिक रही है पन्द्रह–पन्द्रह, बीस–बीस लाख की और आज भी पूंजीपति लोग उन जमीनों को उनसे खरीद रहे हैं और पुनः खरीदने के बाद जो पूरी जिदंगी कोर्ट में चक्कर काटते रहे, उनके वो दलित, वो मजदूर, वो किसान उनके नाम पर तो जमीन नहीं चढ़ पाई लेकिन जैसे ही किसी पूंजीपति ने उनसे वो जमीन खरीदी तुरंत उसके नाम पर चढ़ गई। कितना बड़ा घोटाला! इस पर तो जांच होनी चाहिए। ऐसे कौन से ऑफीसर्स

रिस्पोन्सिबल हैं कि जो जिदंगी भर कोर्ट में धक्के खाते रहे, जिनके बुजुर्ग धक्के खा–खाकर जिनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके नाम पर नही चढ़ पाई और जैसे ही किसी पूंजीपति ने वो खरीदी, उसके नाम पर चढ़ गई। ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं नाम उसका नहीं है, नाम किसी और का है, नाम किसी और के चढ़वाई जा रही है लेकिन पूरा उसको एंजाय वो ही कर रहा है, प्लॉटिंग वो कर रहा है, सरकार हमारी अब बनी है। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद ही इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया गया, तभी हमारे कई सारे विधायकों को लेकर उसकी एक कमेटी बनाई गई और तभी आज ये मुद्दा इस लायक बना कि ये चर्चा में कम से कम यहां आया है। ऑफ्टर ऑल मैं तो धन्यवाद सीएम साहब का इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, मेरे ख्याल से हजारों बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई कोर्ट में धक्के खा–खाकर। पहली बार और मैं एक चीज और कह दूं अध्यक्ष जी, मैं कम से कम दो दिन में कम से कम एक बार मुझे कोई न कोई फोन आ जाता है, दिल्ली के किसी ना किसी कोने से फोन आ जाता है कि बेटा अब तो तुम मंत्री बन गए हो, कुछ तो करवाओ। मैं खुद असहाय महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि इनका दर्द, कितना पुराना है कि हम छोटे–छोटे से थे तब से हम 49 साल के हो गए, आज तक उनका दर्द एज इट इज है। कम से कम ये दर्द, अब इसका समाधान होना चाहिए और इस पर अगर कोई जो भी पास हुआ था यहां से केबिनेट से अगर कोई डिस्क्रीपेन्सी है भी तो उसको वापस लाकर उस डिस्क्रीपेन्सी को दूर किया जाना चाहिए और ये इस मुद्दे को बहुत जल्दी से समाधान किया जाना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं और हमारी तरफ बड़ी आशा से लोग देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में ऐसा एलादीन का चिराग मिल गया है कि अब उनकी समाधान जो वर्षों

से धक्के खा रहे थे, हम उसको दूर कर देंगे तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस विषय को तो जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। वर्षों से इस पर लोग भटक रहे हैं, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी।

मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जितनी अहम बातें थी इस मुद्दें पर सभी सदस्यगण अपनी–अपनी बात रख चुके हैं, सारी बातें आ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गांव देहात में काफी घूमा हूं मैं। दिल्ली के गांव देहात के वो लोग हैं जो ओरिजनली दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है 80–90 प्रतिशत लोग तो बाहर के आए हुए हैं, दिल्ली के बाहर से आए हुए लोग हैं और जो गांव देहात के लोग है जो आरिजनल दिल्ली के वासी हैं, उनके साथ कई दशकों से अन्याय हुआ है। उनका एक्स्प्लॉएटेशन हुआ है। बाहर से आ–आकर लोगों ने उनको एक्स्प्लॉएट किया है। जब उनके साथ आप बैठकर उनसे चर्चा करते हो तो उनका दर्द समझ में आता है। 1970–1980 के दशक में जो गरीब लोग थे, दलित समाज से थे, ऐसे लोगों को जमीनें दी गई थी और जैसा मंत्री जी कैलाश गहलोत जी ने भी कहा कि जब उनको जमीनें दी गई थी, वो जमीनें बंजर हालत में थी। ऐसी हालत में थी कि उस पर खेती नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने खून–पसीना एक करके उसको उपजाऊ बनाया, उसको खेती के लायक बनाया और अब वो खेती लायक हो गई है और ये बरसों से उसके ऊपर खेती कर रहे हैं। जगदीश प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनमें से कई लोग ऐसे है जिन लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है, 'भूमिदारी राइटस' मिल चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिले हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत पूरे देश के अंदर और कई राज्यों में इस तरह से

गरीबों को और दलितों को खेती करने के लिए जमीन दी गई थी। लगभग अन्य सभी राज्यों में इन लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है। केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है और मालिकाना हक मिलना इनका अधिकार है, ये सब लोग भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे है।

आज इस सदन के पास ये पावर नहीं है कि इनको सीधे उनका हक दिला सके लेकिन ये सदन आज दिल्ली देहात के सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उनका हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक और जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, इस सदन के अंदर बैठा हुआ एक–एक सदस्य आपके हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब का अधिकार है, वो एक कलम चलाकर यह अधिकार उन लोगों को दे सकते है। 2012 में केबिनेट का एक निर्णय हुआ था वो निर्णय एलजी साहब को भेजा गया कि इनको 74(4) के तहत मालिकाना हक दिलवाया जाए। उस वक्त के एलजी साहब को ये मंजूर नहीं था। उनका डिफरैंस ऑफ ओपीनियन हुआ। उन्होंने इसे राष्ट्रपति को रैफर कर दिया। अभी कुछ सदस्यों ने ऋतुराज जी ने, सुखवीर दलाल जी ने इन्होंने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है कि इसके बाद हम सब लोग एलजी साहब से मिलने के लिए जाएं और उनसे निवेदन करें। उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके तुरंत बाद जाने की बजाय हम उनसे समय लेकर जाएं। सब लोग मिलकर जाएंगे और मैं समझता हूं कि बीजेपी वाले भी जाएंगे जैसे जगदीश प्रधान जी ने जो बात कही, उससे लगता है कि वो भी अपने साथ ही है, आप भी हमारे साथ ही हो। अभी वो जो बीच–बीच में जब वो सिरसा जी बोल रहे थे, मेरे मन में दो विचार आ रहे थे, एक तो मेरे मन में आ रहा था यार! कुछ

मुद्दें ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भई आप लोगों ने योगा कराया, हम सारे गए योगा करने के लिए, हमने राजनीति नहीं करी योगा के ऊपर। अब किसानों की बात हो रही है, 74(4) की बात हो रही है, गरीबों के हक की बात हो रही है, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात हो रही है, अब आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर मन में आया कि जैसे वो एक लड़ाकू नटखट प्यारा सा बच्चा होता है ऐसे दो–दो मिनट में फुद–फुदकर ये खड़े हो जाते है उस बच्चे की तरह। उनको शायद समझ नहीं है मुद्दे की गंभीरता की, तो उनका कसूर नहीं है, वो दो–दो मिनट में फुदकते रहते है और उनको कोई भी अब सीरियसली नहीं लेता हाउस के अंदर। तो समझता हूं कि एलजी साहब से समय लिया जाए और एलजी साहब से समय लेके कल–परसों में जब भी वो बुलाते हैं।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः नाम नहीं लिया सिरसा जी कहा हैं। देखिये सिरसा जी तरीका नहीं है, दिस इज आउट ऑफ वे, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, तो क्या दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा। सिरसा जी देखिए, महेन्द्र जी, सिरसा जी मैं आग्रह कर रहा हूं, नेता सदन जब बोल रहे हैं। देखिए मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, नहीं मैं वार्निंग दे रहा हूं, नेता सदन जब बोल रहे है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मार्शल्स, मार्शल्स प्लीज बाहर करें, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं मार्शल्स बाहर करें, मैं नहीं चाहता था, वो काम करें। चलिए, आप चलिए सिरसा जी, मैंने कहा था मैं नहीं करना चाहता, ठीक है चलिए, आप चलिए।

...व्यवधान

(माननीय सदस्य श्री मनजिंदर सिरसा को मार्शल्स द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर किया गया।)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्रीः तो मेरा ये सुझाव है अध्यक्ष महोदय की अगले 2–3 दिन में हम माननीय एलजी साहब से इसके बारे में समय लेते है, हम सब लोग चलते हैं, हम सब लोग उनसे मिलते हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्रपति को पहले 2012 में रैफरैंस भेजा गया था, उसको वापस ले लें और एलजी साहब खुद ही इस निर्णय को लेके जो 1970 के दशक से लोग बड़ी उम्मीद के साथ हर पांच साल में वोट देके अपने नुमाइंदे चुनते हैं इस उम्मीद में कि वो कुछ करेंगे, कम से कम इस बार उनका ये भरोसा पूरा हो कि हाँ, हमारे नुमाइंदों ने हमारा हक दिलाया। तो एलजी साहब के साथ मुझे उम्मीद है कि आप भी तीनों साथ चलना और उनको कोशिश करना अगर बाईचॉस एलजी साहब नहीं मानते तो फिर वैंकेया नायडू साहब के पास चलेंगे, सारे मिलके चलेंगे, 70 के 70 चलेंगे और उनका हक हम सब लोग दिलाके रहेंगे।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

विधि एवं न्याय मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें 2–3 चीजें क्लीरिफाई करना चाहूंगा। पहला प्वाइंन्ट जो सिरसा जी ने उठाया कि लैंड पूलिंग के ऊपर जो उन्होंने चर्चा की, वैसे तो ये सब्जैक्ट रेवैन्यू का है, As a lawyer and the Law Minister, this is what is coming to my mind कि जितनी भी गांव सभा की लैंड है और जो लैंड पूलिंग जिन विलेजिज में लैंड पूलिंग इम्पलीमैंट हो रही है, वो सब विलेजिज जो हैं, वो अर्बनाइज्ड डिक्लेयर हो

गये हैं लेकिन जो गांव सभा की लैंड है, वो रिवैन्यू डिपार्टमैंट को ट्रांस्फर हो गई है, so revenue department is the concerned department जो इस पर निर्णय ले सकता है, ऐसा नहीं है कि लैंड पूलिंग डिक्लेयर हो गया, लैंड पूलिंग इम्पलीमैन्ट हो गया तो इसलिए आसामी इसको भूमिदर नहीं बना सकते because that land continues to be with the revenue department, one second अभी मैं दुबारा एक्ट जो है चैक कर रहा था और जब मैंने वकालत स्टार्ट की थी तो ये 74(4) के केसिज जब हमने सुने तो एक क्यूरोसिटी थी कि ये 74(4) के केसिज क्या हैं तो मैं भी काफी बार एसडीएम जिसे हम रिवैन्यू असिस्टैंट बोलते हैं, वहां भी अपियर हुआ। हाई कोर्ट में भी जो इस तरह के केसिज है, उनमें भी I have occasion to appear. अगर हम इस पूरे दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट को पढ़ें और पूरे जो स्कीमस के प्रोविजन हैं, तो ऐसा कोई सैक्शन या प्रावधान या ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार जो आसामी है और सैक्शन 73 के अंदर उसको भूमिधर डिक्लेयर कर दिया तो वो पूरा भूमिदार है वो कन्डीशनल भूमिदार या ऐसा कोई इस तरह का प्रोविजन इसमें नहीं है so that means once Asaami is declared as Bhumidaar he is complete Bhumidaar, he is complete owner. तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लेकिन हकीकत में और प्रैक्टिकल अगर उसमें देखें तो काफी सारे रिवैन्यू अस्सिटैंट ने इस तरह के ऑर्डर कन्डीशनल ऑर्डर जो हैं, वो पास किए हुए हैं। क्यों पास किए गए है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एवरीबडी नोज सबको समझ में आता है कि वो ऑर्डर जो है, उस तरह से क्यों पास किए गए हैं लेकिन जब वो रिक्वायरमेन्ट पूरी हो जाती है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो जो कन्डीशन है, वो हट भी जाती है। तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये कोई जो आसामी है, वो भीख नहीं मांग रहा है। ये

उसका अधिकार है जो अधिकार उसे बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था और एक चीज जो समझ में नहीं आती कि लगातार जो पिछली सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे काँग्रेस की है, ऐसी वो क्या चीज है जो उनको रोक रही है बार–बार और रोकती रही कि जिस व्यक्ति के कब्जे में वो जमीन पिछले 40 साल से है और अगर वैसे भी हम लॉ की बात करें तो 12 साल के बाद तो एडवर्स पजेशन में अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पे बैठ जाता है तो 12 साल के बाद तो कानून भी ये कहता है कि भई, उसको एडवर्स पजेशन के द्वारा उसको राइट मिल जाना चाहिए। तो यहां तो 40–40 साल सरकार की जो बात करे रहें वो सैक्शन 79 है, सैक्शन 79 भी मैं पढ़ दे रहा हूं इसमें it says, "if a suite for ejectment of an Asaami to whom any… is not instituted or decree obtain in such a suite not exceeding within period of limitation prescribed thereof.' जो यूजली 3 साल रहता है। यहां तो 40–45 साल हो गए उस व्यक्ति को उस जमीन पर कब्जे में है इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि वो व्यक्ति जो है, जो आसामी है, वो जमीन उसके कब्जे में है और उसको कल्टीवेट कर रहा है। तो पूरी इस चर्चा का और पूरे हमारे जो विधायक भाइयों ने चर्चा की, उससे यही निकलके आता है। पूरा अगर हम लैंड रिफॉर्म एक्ट भी पढ़े तो ऐसा कोई प्रावधान पूरे एक्ट में नहीं है कि जो ये कहता है कि उसको उसका अधिकार जो है, वो उसको नहीं मिलना चाहिये और अंत में अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहूंगा कि justice delayed is justice denied. Thank you.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता;

संकल्प स्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश

इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूं मैं माननीय मंत्रियों से अनुरोध भी कर रहा हूं और डायरेक्शन भी दे रहा हूं, वो इन्श्योर करें कि जितने भी डिपार्टमेन्ट के हैडस है, प्रिंसिपल सैक्रेटरीज हैं, सैक्रेटरीज हैं और चीफ सैक्रेटरी हैं जिनका जो विषय रहता है, वो निश्चित रूप से गैलरी में उपस्थित हों, ये माननीय मंत्रीगण इसको सुनिश्चित करें।

दलाल जी ने विषय उठाया, बड़ा गम्भीर विषय है, जब यहां नहीं होते तो ये सदन की मर्यादा के विरूद्ध रहता है और इसको एक बार गम्भीरता से ले लें, आप सबका शान्तिपूर्वक सदन चलाने के लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

आज दुखद घटना हुई उस पर मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं। लेकिन अधिकारियों से भी एक प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके प्रति बहुत सचेत होकर पास की रिक्मन्डेशन करें। आगे से आई कार्ड जरूर देखें, जिसको भी मैं पास रिक्मेन्ड कर रहा हूं तो भी वो उसका आई कार्ड जरूर लेकर आएं और माननीय सदस्यों से प्रार्थना है आप जिसको भी रिक्मन्ड करके भेजते हैं, साइन करके वो आई कार्ड लेकर के आएँ और बुरा ना माने, कई बार आता है कि नहीं कर दीजिए जी, फोन आ गया, कर दीजिए जी, नो

टेलीफोनिक कॉल, आपके साइन चाहिए, मोहर चाहिए और जिसको आप भेज रहे हैं, उसकी कोई ना कोई आइडेंटी कार्ड की फोटो कॉपी ओरिजनल ये दोनों चीज चाहिये, उसके बिना हम पास नहीं बनने देंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही 29 जून, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है, एक बार ओर पुनः धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 29 जून, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र–04	बुधवार, 28 जून, 2017 / 07 आषाढ़, 1939 (शक)	अंक–51
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	निधन सम्बन्धी उल्लेख	2
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	3–23
4.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	24–25
5.	अवमाननाकारियों के कारावास का प्रस्ताव	26–33
6.	सरकारी संकल्प (नियम–90)	34–91
7.	माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश	92–93